आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट-सह्याद्री

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

राजभाषा विशेषांक

प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण सह्याद्री पर्वत श्रंखला

पुणे अंचल की तिमाही गृहपत्रिका - अंक सितंबर 2022

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालयों, शाखाओं एवं स्टॉफ सदस्यों के बीच केवल निजी वितरण हेतु

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट-सह्याद्री

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

संरक्षक
श्री बी.बी.मुटरेजा
अंचल प्रमुख

मार्गदर्शन
श्री संदिप्त कुमार पटेल, उप-अंचल प्रमुख
श्री नरेन्द्र पंजाबी, सहायक महाप्रबंधक
श्री उदय शंकर, सहायक महाप्रबंधक
श्री नयन कुमार सिन्हा,सहायक महाप्रबंधक

परामर्शदाता
मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक
क्षेत्रीय प्रमुख, अकोला
क्षेत्रीय प्रमुख, अमरावती
क्षेत्रीय प्रमुख, औरंगाबाद
क्षेत्रीय प्रमुख, अहमदनगर
क्षेत्रीय प्रमुख, जलगांव
क्षेत्रीय प्रमुख, नागपुर
क्षेत्रीय प्रमुख, नासिक
क्षेत्रीय प्रमुख, पुणे
क्षेत्रीय प्रमुख, सोलापुर

संपादक
श्री राजीव तिवारी,
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपर्क
राजभाषा विभाग
आंचलिक कार्यालय, पुणे
cmhindipunezo@centralbank.co.in
संपर्क – 84088-88775 / 77679-71351

अनुक्रमणिका

क्रम	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी माननीय श्री एम.व्ही.राव का पुणे प्रवास	3
2	अंचल प्रमुख का संदेश	4
3	उप-महाप्रबंधक का संदेश	5
4	संपादकीय	6
5	डिजिटल बैंकिंग एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनल	7
6	आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य	9
7	डिजिटल भारत	10
8	आज का ग्रामीण जनजीवन और परिवेश	11
9	कविताएं	13
10	बैंकों में बढ़ता एनपीए - कारण एवं निवारण	14
11	कविता " You Start Dying Slowly " का हिन्दी अनुवाद	16
12	सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा हिन्दी का महत्व	17
13	भारतीय भाषा और लिपि के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान	22
14	इस प्रकार कराएं हिन्दी अक्षरों की पहचान	24
15	राष्ट्रकवि - सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय	25
16	'राष्ट्रभाषा' और 'राज्यभाषा' की आवश्यकता?	28
17	वित्तीय साक्षरता- वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम	31
18	राजभाषा गतिविधियां	36

खंडन –
इस गृहपत्रिका में सम्मिलित किए गए लेखों में व्यक्त विचार आलेखकों/रचनाकर्ताओं के निजी हैं. इनका बैंक से कोई सरोकार नही है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
माननीय श्री एम.व्ही.राव का पुणे प्रवास

दिनांक 02.07.2022 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एम.व्ही.राव द्वारा फल्टन नगर का दौरा किया गया. उनके प्रवास के दौरान कॉर्पोरेट ग्राहकों की बैठक और ऋण शिविर का बृहत आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या ग्राहक-गण उपस्थित हुए.

श्री राव ने अपने संबोधन में बताया कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया सही अर्थों में स्वदेशी बैंक है जो जनता के विश्वास पर टिका है और यह जनता का अपना बैंक है. हमारे राष्ट्र की आजादी के अमृत महोत्सव, सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कदम से कदम मिला कर चलने को प्रतिबद्ध है. यह भी जानकारी दी गई कि महाराष्ट्र राज्य में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 620 से अधिक शाखाएं है जिनके माध्यम से कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, रीटेल ऋण, व्यक्तिगत ऋण, शैक्षणिक ऋण जैसी विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है.

उपरोक्त ऋण शिविर में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ₹154.00 करोड़ की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए. कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ बातचीत के दौरान अनेक बड़े व्यापारी एवं कारपोरेट ग्राहकों से सह-उधार व्यवस्था पर प्रतिबद्धताएं प्राप्त की गई. इस मौके पर पुणे अंचल के अंचल प्रमुख श्री बी बी मुटरेजा की उपस्थिति उल्लेखनीय थी.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

पुणे अंचल के अंचल प्रमुख का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

हमारे अंचल की ई-पत्रिका **'सेंट सह्याद्रि'** के वर्तमान अंक के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर मुझे पुन: प्राप्त हुआ है. अपने इस अंक के माध्यम से आज फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारा बैंक व्यावसायिक पैरामीटरों में से कुछ पर अपने समकक्ष बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. परंतु बदलाव के इस दौर में हमें सुनियोजित तरीके से एकजुट होकर कार्य करने की अब भी जरूरत है.

भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जन-जन तक लाभ पहुंचाने के लिए हमें केवल अपनी भारतीय भाषाओं को ही अपनाना होगा ताकि इससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित समाज के वर्ग का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके. यह हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि इन कार्यक्रमों की सफलता का पूरा दारोमदार हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर ही है. यदि हम **'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'** की संकल्पना को मूर्त रूप देना चाहते हैं तो हिन्दी के प्रयोग को हृदय से स्वीकारना होगा.

राजभाषा माह के पावन अवसर प्रसंग पर मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि हमारे अंचल में हिन्दी के कार्यान्वयन की स्थिति काफी अच्छी है. हमने सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है. वर्तमान में हमारे बैंक की वेबसाइट, फेसबुक, एम-पासबुक आदि के साथ-साथ शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग की द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है. यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान राजभाषा का उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिए नगर राजभाषा समितियों द्वारा आंचलिक कार्यालय पुणे को पुरस्कारों से सम्मानित कर हमारा उत्साहवर्धन किया है.

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारे शीर्ष प्रबंधतंत्र द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक अभियान चलाने के निर्देश दिए जाते हैं, यदि हम इनके माध्यम से दिए जाने वाले लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहते हैं अथवा उन लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल नहीं कर पाते हैं तो सच मानिये कि हम बैंक की प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैं आप सबको यह आव्हान करना चाहूंगा कि यह समय की मांग है कि हमारे बैंक की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमारे शीर्ष प्रबंधतंत्र द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे निर्देशों के अनुपालन में कोई कोर-कसर न छोडें.

अंत में, मैं आप सबको आपके कार्यों में आपको अपार सफलता मिले, ऐसी कामना करता हूं.

बी.बी.मुटरेजा
अंचल प्रमुख

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

पुणे अंचल के उप-अंचल प्रमुख महोदय का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

मुझे खुशी है कि हमारे अंचल की ई-पत्रिका 'सेन्ट सहयाद्रि' के इस अंक के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है.

वर्तमान तिमाही में हमारे अंचल ने 'डिजिटल बैंकिंग' की दिशा में बेहतर कार्य है. मैं इस सम्बंध में सुझाव देना चाहता हूं कि हम अपने अधिक से अधिक नए एवं पुराने बचत खाताधारकों को एटीएम कार्ड जारी करें. मुझे मालूम है कि इस समय हमारी शाखाएं अपने नए खाताधारकों को खाते खोलते समय एटीएम कार्ड जारी कर रहीं हैं. हमें अपने पुराने खाताधारकों को भी कार्ड जारी करने चाहिए ताकि इससे उन्हें उनके खाता परिचालन में सहायता तो मिलेगी ही; इससे हमारी शाखाओं में भी ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रण करने में हमें मदद मिलेगी.

मैं आप सभी से आव्हान करना चाहूंगा कि इस तिमाही के लिए हमारे केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त निर्देशों को अनुपालन अपनी शाखा की टीम के साथ करें. हमें चाहिए कि हम एनपीए खातों में वसूली करें और नए स्लिपेज को कड़ाईपूर्वक रोकें. कासा जमा संग्रहण के लिए लगातार प्रयासरत रहें क्योंकि कम लागत वाली जमाओं के बल पर ही हम अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में सफल हो सकेंगे. मैं यह भी दोहराना उचित समझता हूं आप सभी हमारे बैंक की वर्तमान स्थिति से भलीभांति परिचित हैं और अब भी हमें मीलों लम्बा कठिन सफर तय करना है.

मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप अपने सुदृढ़ प्रयास और अथक परिश्रम के साथ कार्य करें ताकि बैंक कार्यनिष्पादन के सभी मापदंडो में पुणे अंचल का नाम शिखर पर हो. मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब एक साथ मिलकर ऐसा अवश्य ही कर पाएंगे.

एक बार फिर से आप सबको आपके प्रयासों की अपार सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं.

संदिप्त कुमार पटेल
उप-अंचल प्रमुख

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

संपादकीय

पुणे अंचल में कार्यरत् सभी सेंट्रलाईट साथियों,

एक बार पुन: आप सभी सुधि और सहृदय पाठकों का यथायोग्य अभिवादन

साथियों, आंचलिक कार्यालय पुणे की त्रैमासिक ई-पत्रिका 'सेन्ट-सह्याद्रि' का राजभाषा विशेषांक आपके समक्ष प्रस्तुत है. यह ज्ञातव्य है कि राजभाषा माह का आयोजन पहली बार सितंबर 2022 से अक्तूबर 2022 तक मनाया जाएगा एवं हमारे अंचल के कई स्थानों पर राजभाषा कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे.

यह सर्वविदित है कि विश्व के अनेक विकसित देशों के साथ-साथ हमारे देश का व्यापार जगत हिन्दी भाषा की महत्ता को अच्छी तरह से समझ चुका है, इसीलिए अब हर तरफ हिन्दी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है. यह भी सत्य है कि यदि हमें अपने उत्पादों अथवा सेवाओं को अंतिम भारतीय तक पहुंचाना है तो हमारे पास अपनी सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी भाषा का ही विकल्प है. यही वजह है कि विज्ञापनों में क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है. हमारे बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है तथा बैंक की विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक, एम-पासबुक आदि के साथ-साथ शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग की द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है.

साथियों, इस अंक में हमने आपकी रूचियों और अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए समयानुरूप प्रासंगिक विषयों को शामिल किया है. प्रस्तुत आलेखों की रचना और संकलन हमारे अंचल के कार्मिकों द्वारा किया गया है. हमारी अपेक्षा है कि उक्त आलेख आपके पठन-बुभुक्षा को संतुष्ट करने में सफल होगें. आपसे अनुरोध है कि आप अपने मंतव्य से हमें अवश्य अवगत कराएं जिससे हमारी गृह पत्रिका विकास के पथ पर सतत् अग्रसर होती रहे.

हमें आपकी रचनात्मक प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी.

राजीव तिवारी
मुख्य प्रबंधक- राजभाषा

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

डिजिटल बैंकिंग एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनल

पिछले लगभग तीन वर्ष पहले, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवम्बर, 2016 को की, तो उस रात सचमुच पूरे देश में इस बात का शोरगुल हो गया कि अब क्या और कैसे होगा? क्या पूरा देश में इस निर्णय से अफरा-तफरी तो नहीं मच जाएगी? क्या हम भारतवासियों के घरों में जो पुराने नोट पड़े हैं, वह सब बदल जाएंगे? क्या भारतीय बैंक, इस निर्णय से होने वाली देश के नागरिकों की उथल-पुथल, नोट बदलने के लिए उनकी शाखाओं में लम्बी कतारों को संभाल देश के नागरिकों को पाएंगे? ऐसे तमाम सारे प्रश्न देश के जन-मानस के समक्ष खड़े हो गए थे.

घोषणा के दूसरे दिन से ही देश के बैंकों ने सरकार के इस निर्णय के सम्यक अनुपालन की दिशा में युद्ध स्तर पर तैयारी की और दिनांक 10 नवम्बर, 2016 से भारतीय बैंकों ने लगभग 50 दिन तक अपनी अनवरत सेवाएं जन-मानस को दीं और धीरे-धीरे पूरे देश ने देखा कि बैंकों की शाखाओं और उनके एटीएम में सामान्य स्थिति बहाल होने लगी तथा पूरी भारतीय समाज ने महसूस किया कि **'जहां चाह, वहां राह'** की उक्ति को भारतीय बैकों ने चरितार्थ की.

इन दिनों एक बात सब ने बड़ी शिद्दत से महसूस की और उस बात की निश्चय ही उसकी भरपूर प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि भले ही लोग लगभग 50 दिन तक घंटों, बैंकों के सामने लम्बी-लम्बी कतारों में लगे रहे और सबने कई प्रकार की असुविधाएं तथा कठिनाईयां भी झेली. लेकिन अधिकांश लोगों ने सरकार के इस निर्णय में यह कहते हुए अपनी सहमति जताई कि देश के सर्वोपरि हित में यह अच्छा निर्णय है.

हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देशवासियों का लगातार आव्हान किया कि वे अधिक से अधिक कैशलेस लेनदेन को अपनाएं. इसके लिए डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ें तथा बैंकों के पास उपलब्ध वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों का भरपूर उपयोग करें. सर्वे के आंकड़े वयां करते हैं कि देशवासियों ने तब से लेकर आज तक कैशलेस व्यवस्था को जमकर अपनाया है. परिणामत: बैंकों के क्लियरिंग हाउसों में चैक्स/ड्राफ्ट लिखतों की संख्या में बहुत अधिक मात्रा में दिनों-दिन बढ़ोतरी हो रही है. साथ ही, लोग बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के डेबिट/क्रेडिट कार्डों का उपयोग कर रहे हैं. देश के शहरों-गांवों में कैशलेस अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है. लोगों में इन सबके प्रयोग की आदतों में इसलिए भी इजाफा हुआ है क्योंकि कैश रखने, ले जाने और उपयोग की तुलना में ये सभी डिवाइस सुरक्षित हैं.

जहां तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पुणे क्षेत्र की बात है तो हमारे पुणे क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 92 शाखाएं कार्यरत हैं. हमारी शाखाओं में अपने विद्यमान ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के अनुकूल सभी प्रकार के जमा तथा अग्रिम उत्पाद उपलब्ध हैं, जो समाज के हर वर्ग के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक शत-प्रतिशत अनुकूल हैं. हमारे बैंक के पास नाना प्रकार के डेबिट/क्रेडिट कार्डस् उपलब्ध हैं. हमारा बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सर्वसुलभ सुविधा उपलब्ध कराता है. मोबाइल बैंकिंग के जरिए, अब सभी ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग करना आसान हो गया है.

डिजिटल बैंकिंग एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनल.....जारी

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

डिजिटल बैंकिंग एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनल.....जारी

बैंक के पास ऐसी अपनी कई मोबाइल एप हैं, जिनके जरिए अब ग्राहक कहीं भी, कभी भी अपने खाते का बैलेंस देख सकता है, नवीनतम अपने लेन-देन देख सकता है तथा निर्धारित राशि की प्रमात्रा का अंतरण भी कर सकता है. अब हमारे ग्राहक अपने दैनिक यूटिलिटी बिलों का भुगतान घर बैठे अपने कार्डों के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं. यदि हम आंकड़ों में बात करें तो हमारे पुणे अंचल में मोबाइल बैंकिंग के तहत, **'एम-पासबुक एप'** के यूजर्स की संख्या 75000 के आंकडे को पार गई है, जबकि केवल पुणे क्षेत्र में इनकी संख्या 20000 से ज्यादा है.

इसी तरह, पुणे अंचल में एटीएम यूजर्स की संख्या लगभग 26 लाख है और पुणे क्षेत्र के तहत यह संख्या 4 लाख से अधिक है. हमारे बैंक में इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स की संख्या 2 लाख से अधिक की है और पुणे क्षेत्र में यह संख्या 54 हजार से ज्यादा है. हमारे बैंक ने एनपीसीआई के प्लेटफॉर्म के तहत, हाल ही में **'सेन्ट यूपीआई एप'** विकसित की है, जिसे 20762 से अधिक यूजर्स ने तुरंत उपयोग करना शुरू भी कर दिया है, यह एप लगभग **'भीम एप'** के समान है. हमारे बैंक की एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि पूरे देश में हमारी शाखाओं का जाल बिछा हुआ है, दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि पूरे देश में लगभग 4650 से अधिक शाखाएं हैं और 5000 से अधिक एटीएम हैं. हमारे बैंक की 32 से अधिक रिटेल ऋण की सर्वसुलभ ऋण योजनाएं हैं; वर्तमान में हमारा बैंक सबसे कम ब्याज दर पर, अपने देशवासियों को हाउसिंग लोन उपलब्ध करा रहा है, **यह ब्याज दर मात्र 8.30% है**.

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हमारे बैंक की **'पेन इंडिया प्रेजेंस'** के साथ, बेहतर ग्राहक सेवा नि:संदेह सराहनीय है और हमारे देशवासियों के हर वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया है. डिजिटल पेमेंट के बारे में हम न केवल, विज्ञापनों के जरिए अपने देशवासियों को सुशिक्षित कर रहे हैं; अपितु हमारी शाखाओं में कार्यरत प्रत्येक स्टाफ सदस्य को प्रशिक्षित कर, शाखाओं में आने वाले प्रत्येक ग्राहक को **'डेस्क प्रशिक्षण'** देने के लिए उन्हें तैयार किया गया है. इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं. हमारा बैंक अपने सभी ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए सदैव कटिबद्ध है.

.....x.....

देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है – रविशंकर शुक्ल

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य

एक संस्था में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लागू करने के निम्नलिखित उद्देश्य होते है :

- **कार्य का निर्धारित समय पर होना –**
  - इस प्रणाली में कार्य निर्धारित समय पर समाप्त हो जाता है क्योंकि इसमें कार्य विभाजन का सिद्धांत अपनाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है.
- **प्रत्येक व्यवहार का लेखा रखना –**
  - इस प्रणाली में कोई लेखा लिखने से छूट नही पाता है. यदि एक व्यक्ति से लेखा करने में त्रुटि हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा वह त्रुटि पकड़ ली जाती है.
- **अंकेक्षण कार्य में सहायक –**
  - आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य त्रुटियों एवं छल कपट का पता लगाना है जिससे लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां सत्य एवं पूर्णत: शुद्ध रहे. इस प्रकार अंकेक्षण का कार्य सरल हो जाता है.
- **उत्तरदायित्व का निर्धारण -**
  - आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करना है ताकि उनके कार्य-क्षेत्र में हुई त्रुटियों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सके.
- **कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि –**
  - आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है जिससे कर्मचारियों की दक्षता और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. इस प्रणाली में एक व्यक्ति द्वारा एक ही कार्य किया जाता है अत: वह उस कार्य के निपुणता प्राप्त कर लेता है.
- **कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव –**
  - आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कर्मचारियों में नैतिकता का विकास होता है. वे संस्था में ईमानदारी और लगन से कार्य करते है.
- **त्रुटियों एवं छल कपट का पता चलना –**
  - आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि उनकी त्रुटियों एवं छल कपट का ज्ञान स्वयं हो जाता है.
- **अंतिम खातों को शीघ्र तैयार किया जाना-**
  - आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में समस्त कार्य समय पर पूरे हो जाते है जिससे अंतिम खाते शीघ्र तैयार किए जा सकते है.
- **नियंत्रण कार्य में सहायक** – आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत संस्था की लेखा पुस्तके सत्य एवं शुद्ध रूप में प्रदर्शित रहती है जो कि आंतरिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है अर्थात् आंतरिक नियंत्रण को सफल् बनाने में आंतरिक प्रणाली सहायक होती है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

डिजिटल भारत

आज "कल" युग में मशीन और मानव ने साथ तय किए अपने इस छोटे से ही सफ़र में न सिर्फ़ भारत पर बल्कि संपूर्ण विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है. डिजिटल इस छोटे से एक शब्द ने अपने आप में ही अपार संभावनाओं को समेटा हुआ है.मानव जाति की गगनचुंबी आकांक्षाओं को डिजिटलाइजेशन ने मानो पर लगा दिए हैं. वास्तव में हमारी तेज़ रफ़्तार से विकास करने की महत्वाकांक्षा ही डिजिटलाइजेशन की जननी है. इसकी तेज़ रफ़्तार से भयभीत कुछ लोग इसे मानव जाति के लिए ख़तरा भी मानने लगे हैं. आशंका यह है की रोबोट हमारी सभी कार्यवाही करेंगे क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नक़ल करना सिखते हैं. कृत्रिम बुद्धि उन रोबोट सूपर प्राणियों को बनाएगी जो लिखते हैं और अपने स्वयं के कोड को फिर से लिखते हैं ताकि वे ख़ुद को लगातार अपग्रेड कर सकें.

यह डिजिटलाइजेशन की तेज़ रफ़्तार ही है जिसने भारत को यह अहसास करवाया है कि केवल सस्ते श्रमिकों और विनिर्माण के दम पर ही इच्छित विकास को हासिल करने में बहुत वक़्त लगेगा और पड़ोसी चीन यह तीस साल पहले ही कर चुका है. तो अगर भारत को विकास की इस स्पर्धा में आगे आना है तो इसमें डिजिटलाइजेशन की मुख्य भूमिका होने जा रही है. केंद्रियता की कमी ने ग़रीबों, ग्रामीण सामुदायों में बहुत से आबादी को छोड़ दिया है, जिसे विकसित विश्व पिरामिड के नीचे देखता है. डिजिटलाइजेशन की डोरी से इस आबादी को न सिर्फ़ जल्दी ऊपर लाया जा सकेगा बल्कि उन्हें पहले से कहीं अधिक सशक्त भी बनाया जा सकेगा. महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत अपने क़स्बो में नहीं बल्कि अपने गांवों में रहता है. यह अभी भी काफ़ी हद तक सच है. भारत की दो तिहाई आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में है और विकास की पिरामिड के निचले स्तर तक पहुँचने की सुस्त रफ़्तार ने पलायन की होड़ को जन्म दिया है. ग्रामीण आबादी तेज़ी से शहरों की तरफ़ पलायन कर रही है जो कि न सिर्फ़ अन्न उत्पादन में हमारी आत्मनिर्भरता की लिए चुनौती है बल्कि शहरों के विकास की गति को भी लगातार चुनौती दे रही है. डिजिटलाइजेशन के माध्यम से विकास को निचले स्तर तक तेज़ी से पहुँचाकर समाज के इस गंभीर समस्या का हल भी निकाला जा सकता है.

डिजिटल भारत की क्षमता केवल यहीं तक सीमित नहीं है. सरकारी योजनाओं के मनवांछित नतीजे नहीं मिलने के पीछे पारदर्शिता भी बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान भी डिजिटलाइजेशन ही है. डिजिटल इंडिया की उड़ान में तीव्र गति इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि लंबित योजनाओं की बाधाओं को दूर करके विकास को गति दी जा रही है. इंटरनेट , क्लाउड, गतिशीलता, ३D प्रिंटिंग, कृत्रिम बुद्धि - ये सभी तकनीकों को वितरित नेटवर्क की तरफ़ बढ़ने में सक्षम बनाता है जिससे बदलाव कि गति बढ़ती है. इस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत,कृषि और बैंकिंग इन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं जो कि सूक्ष्म पैमाने पर आर्थिक तैनाती की अनुमति देते हैं. इनमे लगने वाली लागत में गिरावट तेज़ी से जारी है.

भारत में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. इतने कम समय में ही ऑप्टिकल फ़ाइबर से जुड़ी एक लाख से अधिक गाँवों के साथ,१२१ करोड़ मोबाइल फ़ोन,५० करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं. १७२ अस्पतालों में लगभग २२ लाख डिजिटल अस्पताल लेन देन रोगियों के जीवन में आराम ला रहे हैं. आसान छात्रवृति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल पर १४ लाख छात्र पंजीकृत हैं. ईएनएम - एक ऑनलाइन कृषि बाज़ार है जो किसानों के लिए सबसे अच्छी क़ीमत की पेशकश कर रहे हैं, अद्वितीय उमंग ऐप सिर्फ़ तीन महीनों में ही १८५ सरकारी सेवाएँ दे रही है. आज २.८ लाख आम सेवा केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं जो लोगों को कई डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं.इन केंद्रों में लगभग १० लाख लोग काम कर रहे हैं.हम देख रहे हैं की डिजिटल इंडिया से गांवों में इंटरनेट और आईटी के क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. हर चीज़ मोबाइल और कम्प्यूटर के ज़रिए हो रही है जैसे अस्पताल से लेकर पढ़ाई तक. अतएव डिजिटल इंडिया डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण की एक यात्रा है.

हमारे सपनों का भारत जहाँ ग़रीबों को दान के ज़रिए कुछ नहीं चाहिए. वे सिर्फ़ अवसर चाहते हैं ताकि अपनी आजीविका और समृद्धि के लिए काम कर सकें. यह तभी संभव है जब भ्रष्टाचार काम होगा, काम समय पर होगा, बेवजह भाग दौड़ से मुक्ति मिलेगी. आइए हम सब मिलकर सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में भारत को डिजिटल बनाकर संपूर्ण करते हैं.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज का ग्रामीण जनजीवन और परिवेश

आज का ग्रामीण समाज और कल का बीता हुआ ग्रामीण समाज दोनों की परिभाषा की जाए तो बहुत ही अंतर होगा इन दोनों की परिभाषाये एक दूसरे से मिली जुली हो सकती है परन्तु एक जैसी नहीं भारत कृषि प्रधान देश है गांवो का देश है लेकिन क्या किसान जीवित है गांव जीवित है शायद नहीं जो गांव हम चाहते है वो नहीं लोगो के बोलने का अंदाज वो मीठी बोली, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति प्रेम अब गांवों भी कम ही देखने को मिलता है.

लेकिन श्रम का महत्व तो आज भी गांवो में ही देखने को मिलता है श्रम की अपार सीमा वही देखने को मिलती है. आज विलासिता भरा जीवन और सारी सुख सुविधा पाने की इच्छा ने लोगो को केवल आत्मकेंद्रित कर दिया है, वह स्वार्थी होता जा रहा है. शहर की बात ही छोड़ दे वो तो फ़ास्ट ट्रैक या बिजी लाइफ कहकर अपने आप को बचा लेता है लेकिन आज के ग्रामीण जीवन में भी ये बातें दिखायी देने लगी है. जब पहले घर में मेहमान आते थे तो भले ही गुड़ और शरबत से उसका स्वागत किया जाता था लेकिन मन में उसके प्रति आदर और प्रेम अपार ख़ुशी लोगो के चेहरे से झलकती थी परन्तु आज गांवों में भी लोगो के मन में प्यार और आदर भावना कम होती जा रही है.

मेरा अनुभव यही कहता है कि ये सब पहले न था परन्तु आज हालात कुछ और है. गांव अब शहरो में तब्दील होते जा रहे है खेतो की परम्परा नष्ट होती जा रही है, लोग अपने खेत किराए पर दे रहे है. किसान घर बैठकर बस किराए के भरोसे बैठा रहता है, गांव शहर की ओर बढ़ रहा है और गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे है, इसका क्या कारण हो सकता है ? मन में ठसक सी लगती है कि हमारी पहचान कृषि और खेतों लहलहाते फसलों से है. हमारी प्रकृति से है लेकिन ये सब धीरे- धीरे नष्ट होता जा रहा है.

ग्रामीण जीवन और परिवेश भी बदलता जा रहा है, उसका रूप भी बदलता जा रहा है. सिक्के के हमेशा दो पहलु होते है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक. लेकिन केवल सकारात्मक पर विचार करें तो भारत विकसित हो रहा है, नए युग की ओर बढ़ रहा है विकसित देशों की बराबरी कर रहा है. यह सब सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलु भी है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता क्यूंकि उन पहलुओ में भारत की वह तस्वीर है जो सच्चाइयां उजागर करती है. वह तस्वीर आज के समाज की, लोगो की और आज के परिवेश की है.

भारत में महानगरों को शिखर की ओर ले जाने वाला कहीं न कहीं भारत का गांव है. लेकिन उसे नजर अंदाज कर दिया जा रहा है, किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, और वो आत्महत्या तक कर रहा है लेकिन इसका जिम्मेदार कौन ? शायद पूरी व्यवस्था. इन्ही सब कारणो से लोगो का लगांव, एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म होता जा रहा है. ये बड़ी दयनीय और विचारणीय स्थिति है , गांवों से संस्कृति और हमारे भारतीय होने की पहचान मिलती है. ये सत्य है, कि हम अपनी पहचान धीरे–धीरे खो रहे है. कहते है सुख और चैन केवल गांवों में है.

लेकिन क्या सच में आज भी गांवों में पहले जैसा सुख और चैन है ? वहां का वातावरण कल की तरह स्वच्छ है अगर सही कहूँ तो नहीं क्यूंकि वातावरण तो गांवो का भी प्रदूषित हो चुका है और सुख की नींद शायद ही अब गांव के लोगो को आती है. लेकिन क्या सच में वहां के लोगो को भी वही अनुभूति होती है ? जो हमें होती है. वहां जाकर जब हमें ही नहीं होती तो वे तो उसी परिवेश में रहते है तो उनकी क्या मनस्थिति होती होगी इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है.

आज का ग्रामीण जनजीवन और परिवेश...जारी...

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज का ग्रामीण जनजीवन और परिवेश...जारी...

क्यों आज गांव में वो बात नहीं जो पहले थी अच्छी बात है आज गांवों की लड़कियां भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. लेकिन आज भी वहां ऊँच–नीच, छुआछूत है और मैंने देखा है, महसूस किया है इनके इन बुराइयों की जड़ों को कैसे नष्ट किया जाए और आज गांवों के लोगो में नकारात्मक सोच ने गहरा प्रभाव कर लिया. दहेज़ प्रथा कहीं न कहीं इन्हे आज भी सताती है. आज भी पर्दा प्रथा है, खत्म नहीं हुई है. ये सारे दोष है और जो गुण थे वो ख़त्म होते जा रहे है और दोष जो थे वो न कम हुए और न ही ख़त्म हो रहे है.

हमें भारत को बचाना है तो गांवों को बचाना होगा उनकी तरक्की भी जरुरी है लेकिन उनके वास्तिविक रूप को मिटाकर नहीं तरक्की उनके असलियत के साथ उनके यथार्थ को उसी रूप में बनाये रखने के साथ क्यूंकि ये तरक्की कहिं न कहिं हमें विफलताओ का दर्शन करा सकती है. भारत की एकता को हमे बनाये रखना है हमें अपने अस्तिव को बनाये रखना है इसके लिए जरुरी है हम ग्रामीण संस्कृतयो और सभ्यताओ को अधिक से अधिक महत्तव दे और उनके बारे में थोड़ा विचार करे या उनके द्वारा हम अपना ही विचार कहीं न कहीं करेंगे.

सरकार की कई सारी योजनाये है, लेकिन क्या सच में उनका लाभ गांवों के लोगो को मिलता है कितना संतुष्ट है गांवों के लोग क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा शायद नहीं क्यूंकि हम आधुनिक युग के है न तो शायद फ़ास्ट ट्रैक लाइफ में समय ही नहीं मिला होगा. लेकिन अब हमें समय निकालना होगा गांवों की बुराइयों को मिटाना होगा हमें उनका साथी बनकर उनकी मदद करनी होगी. सरकार को और सजग होना होगा और हमें उन लोगो को जागरूक बनाना होगा तभी जाकर हमारा और आपका सपना साकार और सच या कह ले सार्थक होगा.

गांवो की भाषा परिवेश का समाज हमें इन सभी मुद्दो पर मिलकर एक साथ काम करना होगा. अपने भारत की रौनक को बनाये रखना होगा क्यूंकि हमारी रौनक हमारे समाज और हमारे देश के गौरव में है. और हमारे देश का गौरव हमारी संस्कृति से है और हमारी संस्कृति गावो में निवास करती है. हमें अपनी संस्कृति को एक सुन्दर और सफलता से परिपूर्ण माहौल देना होगा जो गांवों को आगे ले जाने से और हमारे जागरूक होने से साथ ही व्यवस्था को बदलकर नयी व्यवस्था की मांग के साथ सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करके होगा तथा हमे अपने आप को सोने की चिड़िया फिर बनाना है और यह तभी सम्भव होगा जब पहले हम सोने के हो जाए.

हमारी संस्कृति हमारी पहचान हमारा गौरव है. हमें अपने गौरव को बनाये रखना है और हमें उसके लिए हमेशा तत्पर रहना होगा एक सकारात्मक सोच के साथ उम्मीद की नयी किरण के साथ. ----------

हिन्दी उन सभी गुणों से अलंकृत है
जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है
– मैथिलीशरण गुप्त

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

कविताएं

मन

मन हे असेही हसते ,
अन तसेही हसते,
तरुणाई साठी प्रसन्न सकाळ असते
ज्येष्ठासाठी स्वर्णिम संध्याकाळ असते

द्वेषापोटी कधी रक्तरंजित लाल होते
आनंद सोहळ्यात कधी गुलाल होते

प्रत्येकाच्या मनी इच्छा असावी
मनात माझ्या प्रभु बसावा

विश्व बंधुत्वासाठी तुझ्या माझ्यात
आपुलकीचा उमाळा यावा

जणू सागर लाटा बघुनी
बाहु पसरुनी किनारा हसावा

अहसास

जब मैं बैंक पहुंचता हूं ,
मैं और मेरी तनहाई अक्सर ये बातें करतीं है..

यह सुतलियों के बंडल,
जैसे तुम्हारे रेशम से बाल..
यह चिल्लर की छनछन
जैसे तुम्हारे बर्तनो की थरथराहट..

पर जब मैं सुनता हूं ,
मैनेजर की पुकार..

मेरा दिल मानता है जरूर ,
तुम यहां नहीं हो, यहां कहीं नहीं हो..

तू येतेस तेव्हा

तू येतेस तेव्हा ,
सांज स्वर्णिम होते ,
फुलांचा सुगंध हवा धुंद धुंद करुन जातो॰

तू हसतेस तेव्हा ,
फुललेल्या मोगऱ्यासारखी,
हळुवार सुगंध आणि प्रफुल्लतेचा ,
अनुभव देऊन जातेस॰

कधी कधी तुझे येणे,
शांत हवेच्या झुळकीप्रमाणे भासते,
तर कधी कधी ,
किनाऱ्याकड़े लगबगीने येणाऱ्या अवखळ
लाटेसारखे॰

कधी कधी तुझे हसणे,
पुनवेच्या शितल चांदण्या सारखे भासते॰
तर कधी कधी
श्रावण सरींचा वर्षाव होत असल्यासारखे॰

गुलदस्ता

किसी प्रियजन को दूँ उपहार में फूल
यह विचार लगा मुझे कूल,
आर्किड लिली गुलाब मुझे भा गए
दिल को मेरे सुकून दिला गए,
भारी सा गुलदस्ता मैंने उसे थमा दिया
लगा जैसे घर की रौनक को बड़ा दिया,
पार्टी हुई ख़तम, अरे ये क्या हुआ
सारे फूलो को कूड़ेदान नसीब हुआ,

हाँ सच था गुलदस्ता कितनी देर चलना था
जड़ से निकले फूलो का दम निकलना था,
अगर जड़ो से लगे ही देती
तो रोज़ गुलदस्ते से फूल वह लेती ,
सभी यह तरीका अपना सकते है
फूलो के पॉट को उपहार बना सकते है,
जब खिलेंगे फूल तब तब याद आओगे
ताज़ी सुगंध और सुंदरता से
सबके दिल में बस जाओगे ॥

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

बैंकों में बढ़ता एनपीए - कारण एवं निवारण

भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ बने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इन दिनों गैर निष्पादित संपत्तियों यानी एनपीए की समस्या झेल रहे है. एनपीए एक ऐसा मुद्दा है जिसे बार-बार उठाया जाता रहा है और बैंकों के लिए सिर दर्द बना हुआ है और इसके बारे में हर बार जब भी अर्थव्यवस्था की बात होती है तो कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने की बात होती है तो आइये जानते है की यह एनपीए क्या है ? क्या है इसके कारण ? और कैसे करे इसका निवारण ?

असल में एनपीए को नॉन परफोरमिंग असेट या अनर्जक अस्ति भी कहा जाता है और अगर साधारण भाषा में बात करें तो यह ऐसी संपत्ति होती है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता है. अनर्जक अस्ति में से तात्पर्य बैंकिंग व वित्त उद्योग में ऐसे ऋण से है, जिसका लौटना संदिग्ध हो.

बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करता है, उसे अपने खाते में अस्ति के रूप में दर्शाता है. यदि किसी कारण वश यह आशंका हो कि ग्राहक यह ऋण लौटा नहीं पाएगा तो ऐसे ऋण को अनर्जक अस्ति कहा जाता है. किसी भी बैंक के सेहत (आर्थिक सेहत) को मापने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पैमाना है तथा इसमें वृद्धि होना किसी बैंक कि सेहत के लिए चिंता का विषय ही होता है.

संपत्ति कि गुणवत्ता के मुताबिक एनपीए को तीन भागों में विभाजित किया गया है. मसलन,

1. मानक पर खरी न उतरनेवाली अस्तियां
2. संदिग्ध आस्तियां और
3. डूब जानेवाली अस्तियां (लॉस)
4. कोई खाता एनपीए न हो, इसके लिए बैंकों में स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) का प्रावधान किया गया है. ताकि समयानुसार सतर्कता बरती जाए व संभावित एनपीए खातो को एनपीए में तब्दील होने से बचाया जा सके.

यह सच तो सबको पता है जिसपर सार्वजनिक रूप से मुश्किल ही बात होती है. वह यह कि भारतीय वित्तीय तंत्र बैंकों पर आश्रित है. वह यह कि भारतीय बैंकों, विशेष रूप से यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा संचालित होती है. दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आर्थिक चिंतक और नीति निर्धारक इन पीएसबीको भारतीय अर्थव्यवस्था की अमूल्य निधि मानने के बजाय एक समस्या के तौर पर देखते है. इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भारत में बैंकिंग का मतलब व अधिकांशतः पीएसबी से ही होता है. दुखद है की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में होने के बावजूद पीएसबी का महत्व निरंतर कम करके आंका जा रहा है. इसका मज़ाक उड़ाया जाता है और आर्थिक चर्चा के दौरान भी इन्हें कमतर दिखाया जाता है. उनकी विफलताओंकों बढ़ा-चढाकर दिखाया जाता है. जब कि विशेषताओं को दबा दिया जाता है.

गौर करनेवाली बात है कि सरकार बैंकों में ज्यादा एनपीए होने का मूल कारण बड़ी परियोजनाओं व सरकारद्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की सफलताको सुनिश्चित करने के लिए दिया गया ऋण है. सरकारी बैंकों में अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप के मामले देखे जाते है. जबकि निजी बैंक इस तरह के तामझाम व दबाव से मुक्त रहते है. एनपीए केवल बैंकों के लिए नहीं, समूची अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेय है. बरहाल, आज कि तारीख में विमान, कोयला, बिजली, सड़क, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में बैंकों के कॉर्पोरेट ऋण फसे है. ऋण-माफी के बाद कृषि क्षेत्र में भी एनपीए कि स्थिति गंभीर हुई है. आज भी किसान को जो अंशतः ऋण माफी मिली है उसमें भी वह पूर्ण ऋण माफी की मांग कर रहा है. और यह खतम होते ही अगली ऋण-माफी का इंतजार करेंगे. ऋण-माफी सामाजिक तौर पे अपनी अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा आघात है, जो लोगों की मानसिकताओंकों पूर्ण बदल दे रहा है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

बैंकों में बढ़ता एनपीए - कारण एवं निवारण.....जारी

बैंकों के लिए एनपीए को साधारण तरीके से हम ऐसा कह सकते है की कोई ऋण लेता है और किसी भी कारण से उसे वसूल पाने में अक्षम होता है तो वह एक अनर्जक अस्ति बन जाता है क्यों कि उन्हें रिकवर करने की संभावना कम होती है. यह ऋण एनपीए होने की संभावना निम्न वजहों से हो सकती है.

- बैंक की ऋण देने की प्रक्रिया में खामी होना.
- कोई बैंकिंग आपदा
- जिस बिजनेस / कंपनी / इन्सान आदि का ऋण हो और उसका दिवालिया होना.
- हैसियत होने पर भी ऋण का बकाया नहीं भरना.
- बाजार का गिर जाना
- कमजोर जांच एवं निरंतरता निरीक्षण
- कमजोर कानूनी ढांचा
- ऋण के पैसो का दिक्परिवर्तन

इन सब के प्रभाव सभी लोगों और देश की अर्थव्यवस्था में पड़ता है क्योंकि अगर एनपीए बढ़ जाता है तो इस से बैंकों कि आर्थिक सेहत पर आघात है, बैंकों के मुनाफे पर सबसे ज्यादा असर होता है, साथ में ही शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है एवं देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है. ऐसा नहीं की ऋण वसूली के लिए कोई मापदंड नहीं, पर उसका अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता. एनपीए को नियंत्रण में रखने के लिए हर देश के नियामक मापदंड निर्धारित करते है. जिनका अनुपालन वित्तीय संस्थाओं के लिए आवश्यक होता है. 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद अनर्जक अस्तियों को शीघ्र चिन्हित करने व खातों में सही तरीके व ईमानदारी से दर्शाने पर ज़ोर दिया गया है, जिनके तहत बैंकों में वसूली के लिए प्रत्येक कार्यालय में ऋण वसूली ट्रिब्युनल में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति.

- बैंकों के द्वारा परिसंपत्तियों की वसूली पर ज़ोर और परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियां, संकल्प एजेंटों की नियुक्ति
- राज्य स्तर के बैंकरों की समितियोंको राज्य सरकारों के साथ होनेवाले मामले सुलझाने के लिए सक्रिय होने के निर्देश देना.
- बैंकों में जानकारी साझा करने के आधार पर नए ऋण स्वीकृत करना.
- लोक अदालत तहत संदिग्ध अस्तियां एवं डूब जानेवाली अस्तियां समझोंतों से हासिल की जा सकती है. यह एक तुरंत ऋण राशि को वसूल करने का मार्ग है.
- डैब्ट रिकवरी ट्रिब्युनल एवं सरफेसी कलम 2002 भी ऐसे मार्ग है जिसके तहत बैंक अपना डुबा हुआ पैसा हासिल कर सकती है.
- असेट रिकवरी कन्स्ट्रक्शन कंपनिया भी ऋण वसूली के लिए एक अच्छा विकल्प है.
- और सबसे महत्वपूर्ण की ऋण डुबानेवालों से शाखा के अधिकारियों का नियमित संबंध, जो उनको एनपीए से उनको होनेवाले वैयक्तिक नुकसान के बारे में बताए, ताकि शीघ्र गति से बकाया पा सके.

बैंकों का मानना है की एनपीए कैंसर के समान है लेकिन लाइलाज नहीं. बैंकों के लिए एनपीए जरूर बड़ा मर्ज बन गया है, लेकिन अब सरकारी बैंक इसे छुपाने के मूड में नहीं है. वे इसका इलाज करने के लिए तैयार है. अगर इस राशि की वसूली की जाती है तो सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में इजाफा, लाखो लोगों को रोजगार, नीतिगत दर में कटौती का लाभ, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि की बेहतरी, अर्थव्यवस्था को मजबूती, विकास को गति आदि मुमकिन हो सकेगा. पड़ताल में साफ है कि एनपीए को कम करने का उपाय उसके मर्ज में छुपे है. बैंक में व्याप्त अंदरूनी तथा दूसरी खामियों का इलाज, बैंक के कार्यकलापों में बेवजह दखलअंदाजी पर रोक, मानव संसाधन में बढ़ोतरी आदि की मदद से बढ़ते एनपीए पर निश्चित रूप से काबू पाया जा सकता है.

इसीलिए,

" आज से हमारा एकही नारा, वसूली पे रहेगा ध्यान हमारा...
एनपीए के इस कैंसर को,जड़ों से उखाड़ेंगे सारा.
तो आओ चलो पण करे, बैंक को अपने एनपीए से मुक्त करे...
मुनाफे में ला के बढ़ोतरी, जीवन अपना आनंद से भरे.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

स्पेनिश कवि पावलो नेरूडा द्वारा रचित एवं वर्ष 1971 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कविता " You Start Dying Slowly " का हिन्दी अनुवाद

आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं, अगर आप
करते नहीं कोई यात्रा
पढ़ते नहीं कोई किताब
सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां
करते नहीं किसी की तारीफ

आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं, जब आप
मार डालते हैं अपना स्वाभिमान
नहीं करने देते मदद अपनी और न ही करते हैं मदद दूसरों की

आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं, अगर आप
बन जाते है गुलाम अपनी आदतों के
चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे
नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार
नहीं पहनते हैं अलग-अलग रंग, या
आप नहीं बात करते उनसे जो हैं अजनबी अनजान

आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं, अगर आप
नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को, और उनसे जुड़ी अशांत
भावनाओं को, वे जिनसे नम होती हों आपकी आंखे, और करती हों तेज आपकी धड़कनों को

आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं, अगर आप
नहीं बदल सकते हों अपनी ज़िंदगी को, जब हों आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से
अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हों निश्चित को
अगर आप नहीं करते हों पीछा किसी स्वप्न का
अगर आप नहीं देते हों इजाजत खुद को, अपने जीवन में कम से कम एक बार,
किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की

तब आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं.....

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा हिन्दी का महत्व

आज का युग सूचना , संचार व विचार का युग है. सूचना प्रौद्योगिकी एक सरल तंत्र है जो तकनीकी प्रयोग के सहारे सूचनाओं का संकलन , प्रक्रिया व संप्रेषन करता है. सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग मे कंप्यूटर का महत्व कल्पवृक्ष से कम नहीं है जिससे व्यवसायिक, वाणिज्यिक, जन संचार, शिक्षा, चिकित्सा, आदि कई क्षेत्र लाभांवित हुये हैं. कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह भाषा के क्षेत्र में भी मौन क्राँति का वाहक बन कर आया है. अभी तक भाषा जो केवल मनुष्यों के आवशकताओं को पूरा कर रही थी , उसे सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में मशीन व कंप्यूटर की नित नई भाषायी मांगों को पूरा करना पड़ रहा है.

चूँकि वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग है , सभी कार्यालयों में तमाम काम कंप्यूटरों पर ही किये जाते हैं. रोजमर्रा की जिन्दगी मानो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है. मोबाइल फोन, एटीएम , इंटरनेट बैंकिंग से लेकर रेलवे आरक्षण , ऑनलाइन शॉपिंग , आदि तक सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है. संविधान के अनुच्छेद 343 के आधार पर हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है जिसकी वज़ह से हिंदी भाषा का प्रयुक्ति क्षेत्र बहुत विस्तृत है , सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी को कार्यालयीन भाषा का दर्जा प्राप्त है व इसका कार्यक्षेत्र केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, कार्यालयों , निगमों , विभागों व उपक्रमों आदि तक फैला हुआ है.

समकालीन समय में सूचना प्रौद्योगिकी जिसकी आत्मा कंप्यूटर है , किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है. यह सर्वज्ञात है कि कंप्यूटर में राजभाषा हिंदी में कार्य करना सुगम बनाया है. हिंदी में कंप्यूटर स्थानीयकरण का कार्य काफी पहले प्रारंभ हुआ और अब यह आंदोलन की शक्ल लेचुका है. हिंदी सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन का कार्य सर्वप्रथम सी- डैक द्वारा 90 के दशक में किया गया था. वर्तमान में हिंदी भाषा के लिये कई संगठन कार्य करते है , जिसमें सी –डैक, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग केंद्रीय हिंदी संस्थान और अनेकों गैर सरकारी संगठन जैसे सराय, इंडलिक्स, आदि प्रमुख हैं.

एक ओर यूनिकोड के प्रयोग ने हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वहीं आज सिस्टम जेनरेटेड प्रोग्रामों में हिंदी की स्थिति कुछ खास नही है.अधिकतर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पहले ही तैयार कर लिये जाते हैं, उसके बाद उनमें हिंदी की सुविधा तलाश की जाती है. इसके बावजूद भी यह संतोष का विषय है कि 21 वीं सदी में भाषा के प्रचार –प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिक अहम हो गयी है व भाषाओं के मानकीकरण का कार्य आसान हो गया है.

हिंदी यूनिकोड के अस्तित्व में आने के बाद अब हर कंप्यूटर, लैपटॉप यहाँ तक की स्मार्ट फोन पर भी हिंदी में काम करना व करवाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है. यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक कोड है जिसमें हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं सहित विश्व की लगभग 200 भाषाओं के लिये कोड निर्धारित किये गये हैं.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

जारी.....

चूँकि कंप्यूटर मूल रूप से किसी भाषा से नहीं बल्कि अंकों से संबंध रखता है इसलिये हम किसी भी भाषा को एनकोडिंग व्यवस्था के तहत मानक रूप प्रदान कर सकते हैं. साथ ही इसी आधार पर उनके लिये फॉण्ट भी निर्मित किये जा सकते हैं, जैसे अंग्रेज़ी भाषा अथवा रोमन लिपि के लिये एरियल फॉण्ट की एनकोडिंग की गयी है, उसी तरह हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिये निर्मित आधुनिक यूनिकोड फॉण्ट्स की भी एंकोडिंग की गयी है जिसे अंतराष्ट्रीय स्तर पर एप्पल, आइबीएम, माइक्रोसॉफ्ट , सैप, साइबेस, यूनिसिस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रमुख कंपनियों ने अपनाया है. मानकीकरण का यह कार्य अमेरिका स्थित यूनिकोड कंसोर्शियम द्वारा किया जाता है जो कि लाभ ना कमाने वाली एक संस्था है.

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भी इस कंसोर्शियम के जरिये हिंदी के यूनिकोड फॉण्ट जैसे मंगल, कोकिला, एरियल यूनिकोड एमएस, आदि की एनकोडिंग करायी है जिसकी वज़ह से आधुनिक कंप्यूटरों में यह फॉण्ट पहले से ही विद्यमान होते हैं. यूनिकोड 16 बिट की एक एनकोडिंग व्यवस्था है जो कि पालि और प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाओं से भी परिचित है. इसकी विशेषता यह है कि एक कम्प्यूटर पर के पाठ को दुनिया के किसी भी अन्य यूनिकोड आधारित कम्प्यूटर पर खोला व पढ़ा जा सकता है. इसके लिए अलग से उस भाषा के फोंट का प्रयोग करने की अनिवार्यता नहीं होती; क्योंकि यूनिकोड केन्द्रित हर फोंट में सिद्धांतत: विश्व की हर भाषा के अक्षर मौजूद होते हैं. यूनिकोड आधारित कम्प्यूटरों में प्रत्येक कार्य भारत की किसी भी भाषा में किया जा सकता है, बशर्ते कि 'ऑपरेटिंग सिस्टम' पर इन्स्टॉल सॉफ्टवेयर यूनिकोड व्यवस्था आधारित हो. आज बाज़ार में आने वाला हर नया कंप्यूटर व अन्य गैजट ना सिर्फ हिंदी, बल्कि दुनिया की आधिकत्तर भाषाओं में कार्य करने में सक्षम है क्योंकिं यह सभी लिपियाँ यूनिकोड मानक में शामिल हैं.

मौजूदा समय में हिंदी 'ग्लोबल हिंदी" में परिवर्तित हो गयी है, आज तकनीकी विकास के युग में दूसरे देशों के लोग भी, भले की विपणन के लिए ही सही, हिंदी भाषा सीख रहे हैं. आज स्थिति यह है कि भारत व चीन के व्यवसायिक संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं के तलाश के लिये लगभग दस हज़ार लोग बीजिंग में हिंदी सीख रहे हैं. आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य आरंभ हुआ और इसी तरह एंकोडिंग व डिकोडिंग के माध्यम से विश्व की विभिन्न भाषाएँ भी कंप्यूटर पर सुलभ होने लगी, इस तकनीकी विकास ने भारतीय भाषाओं को जोड़ा है. कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न सॉफ्टवेयरों,सी-डैक संस्था के हिंदी सीखने सिखाने के विभिन्न कंप्यूटरीकृत कार्यक्रमों जैसे- प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के लिये लीला वाचिक तकनीक के प्रयोग ने भाषा सीखने की प्रक्रिया को विभिन्न भाषा माध्यमों से बिलकुल आसान बना दिया जिससे भाषायी निकटता का उदय हुआ, जिसके वज़ह से भाषायी एकता आना स्वाभाविक था.वर्तमान समय में मोबाइल फोन ने लैंडलाइन फोन का स्थान ले लिया है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

जारी.....

मोबाइल फोन पर हिंदी समर्थन हेतु निरंतर कार्य चल रहा है. कई मोबाइल कंपनियाँ, सोनी, नोकिया, सैमसंग आदि हिंदी टंकण, हिंदी वाइस सर्च व हिंदी भाषा में इंटरफेस की सुविधा प्रदान कर रही है. इसके साथ ही आज आइपैड पर हिंदी लिखने की सुविधा उपलब्ध है. अंग्रेज़ी के साथ-साथ आज हिंदी भाषा का भी नेटवर्क़ पूरे विश्व में फैलता जा रहा है. जागरण, वेब दुनिया, नवभारत टाइमस, विकिपिडिया हिंदी, भारत कोष, कविता कोष, गद्य कोष , हिंदी नेक्स्ट डॉट कॉम, हिंदी समय डॉट कॉम, आदि इंटरनेट साइटों पर हिंदी सामग्री देखी जा सकती है. आज विज्ञापन से संबंधित एसएमएस से खाता-शेष तक हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त किया जा सकता है.

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत सी-डैक (पुणे) बाईस भाषाओं में अपनी विभिन्न तकनीकी आयामों से वेबसाइटों, सॉफ्टवेयरों, रिपोर्टों, महाराष्ट्र सरकार की मराठी भाषा में तथा असम सरकार कीअसमिया भाषा में वेबसाइट निर्माणों, रिज़र्व बैंक के राजभाषा रिपोर्ट जेनेरेशन सॉफ्टवेयर(आरआरजीएस) निर्माण आदि के कार्य कर भाषायी एकता के क्रम में योगदान कर रहा है.

हिंदी के बड़े बाजार के नब्ज़ को देखते हुये माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर उत्पादों से संबंधित सहायक साहित्य तथा मार्गदर्शक सूत्रों को विशेषज्ञों की सहायता से हिंदी में उपलब्ध कराने के प्रयत्न शुरू किया गया है. बहुप्रचलित विंडोज़ विस्टा व विडोंज 7 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एमएस वर्ड, पावर प्वाइंट, एक्सेल, नोटपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे प्रमुख सॉफ्टवेयर उत्पाद अब हिंदी में कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट का लैंग्वेंज इंटर्फेस पैकेज स्थानीयकरण का बेहतर उदाहरण है.

सीडैक पुणे के तकनीकी सहयोग से ई-महाशब्दकोश का निर्माण किया गया जो की राजभाषा की साइट पर निशुल्क उपलब्ध है. यह एक द्विभाषी –द्विआयामी उच्चारण शब्दकोश हैं जिसके द्वारा हिंदी या अंग्रेज़ी अक्षरों द्वारा शब्द की सीधी खोज किया जा सकता है. अनुवाद दो भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करता है. तकनीकी के उत्तरोत्तर विकास द्वारा मशीनी अनुवाद टूल बनाना संभव हो सका. आज विश्व के कई देशों के पास अत्यंत ही सक्षम अनुवाद टूल हैं. इनकी सहायता से वैश्विक मंचों पर विभिन्न देशों का आपसी मिलन आसानी से संभव हुआ है. भारत में भी अनुवाद टूल बनाने की दिशा में कई सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनमें सी-डैक, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है.

इसके अलावा हिंदी में शब्द संसाधन के लिये विशेष रूप से तैयार ई-पुस्तक , राजभाषा विभाग की साइट पर उपलब्ध है.भाषायी परस्पर आदान प्रदान के क्रम में भी तकनीकी विकास हुआ है. गूगल ट्राँसलेट के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है. आज हमारे पास लिपियों को बदलने का सॉफ्ट्वेयर गिरगिट उपलब्ध है. सीडैक के श्रुतलेखन सॉफ्टवेयर से भाषण/स्पीच से पाठ रूप में पहुँचा जा सकता है. गूगल के टूलों में वाचक, प्रवाचक, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के जरिये पाठ से भाषन की सुविधा उपलब्ध है व गूगल के वायस टाइपिंग के जरिये स्पीच को टेक्स्ट में बदलने की सुविधा उपलब्ध है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

जारी.....

माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज़ इनपुट टूल भारतीय भाषाओं हेतु एक सरल टाइपिंग टूल है. वास्तव में यह एक वर्चुअल की बोर्ड है जो कि बिना कॉपी-पेस्ट के झंझट के विंडोज में किसी भी एपलीकेशन में सीधे हिंदी में लिखने की सुविधा प्रदान करता है. यह सेवा दिसंबर 2009 में प्रारंभ हो गयी थी. यह टूल शब्दकोश आधारित ध्वन्यात्मक लिप्यांतरण विधि का प्रयोग करता है अर्थात् हमारे द्वारा जो रोमन में टाइप किया जाता है, यह उसे अपने शब्दकोश से मिलाकर लिप्यांतरित करता है तथा मिलते-जुलते शब्दों का सुझाव करता है.इस कारण से प्रयोक्ता को लिपयंतरण स्कीम को याद नहीं रखना पड़ता है जिससे पहली बार एवं शुरुआती हिंदी टाइप करने वालों के लिये काफी सुविधाजनक रहता है. आज चारों तरफ 'डिजिटल भारत' की बात हो रही है. प्रत्येक इंसान तक इन्टरनेट को पहुंचाने की चाहत रखने वाले महज 30 वर्षीय व्यक्ति व सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के एजेंडे में भी गाँवों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना प्रमुखता पा रहा है.

यह ध्यातव्य है कि एक बिलियन यूजर्स में से फेसबुक के दूसरे सबसे बड़े मार्केट भारतहै जहाँ करीब 108 मिलियन एफ़बी यूजर्स हैं. मार्क जुकरबर्ग ने इस समिट में 'कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड' अर्थात् 'वैसे लोगों को इंटरनेट से जोड़ना जो इससे दूर तथा अनभिज्ञ हैं' जैसा उद्देश्य रखते हुए पूरे समाज के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत बताई. यहाँ भी तकनीकी विकास में भाषायी एकता दिखती है. जब विभिन्न गाँव डिजिटल दुनिया से जुड़ेंगे तो वैश्विक व भारतीय परिक्षेत्र में विभिन्न गाँवों की विभिन्न भाषाएँ भी तकनीकी का हिस्सा होंगी और उनके बीच संप्रेषणीय आदान-प्रदान होगा जिसमें हम भाषायी एकता देख सकेंगे. भाषायी परिप्रेक्ष्य में तकनीकी विकास की बात प्रिंटिंग प्रेस की बात के बिना अधूरी है. प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने सूचना एवं ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी. वैसे तो विश्व की पहली प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी 11वीं सदी में चीन में विकसित हुई परंतु चलित प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी 13वीं सदी में ही विकसित हो सकी. उसके बाद जर्मनी के जोहानस गुटेनबर्ग द्वारा विकसित प्रिंटिंग प्रेस ने मुद्रण संसार नयी ऊर्जा दी.

पुनर्जागरण काल के इस प्रेस के माध्यम से प्रतिदिन 3600 पृष्ठ तक की छपाई की जा सकती थी जो कि पिछली मशीनों की 2000 पृष्ठ प्रतिदिन की तुलना में काफी अधिक थी. पुनर्जागरण काल में हुए इस अनोखे आविष्कार ने जनसंचार (Mass Communication) की आधारशिला रखी. यूरोप में शिक्षा संपन्न एवं विशिष्ट लोगों की गोद से निकलकर जन सामान्य के बीच पहुंची और शिक्षित जनता की संख्या तीव्र गति से बढ़ी तथा मध्यवर्ग का उदय हुआ. पूरे यूरोप में अपनी संस्कृति के प्रति सजगता और राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण उस समय के यूरोप की लिंगुआ फ्रैंका (लैटिन) की स्थिति कमजोर हुई तथा स्थानीय भाषाओं की स्थिति मजबूत हुई.

प्राचीन और प्रतिष्ठित भाषाओं के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं को भी सम्मान मिला. भारत के मुद्रण इतिहास में श्रीरामपुर प्रेस का उल्लेखनीय योगदान है, जिसमें हिंदी अक्षरों को विकसित किया गया तथा मिशनरियों के प्रचार सामग्री के रूप में बाइबिल का हिंदी अनुवाद बड़े स्तर पर छापा गया. स्वाधीनता आंदोलन में विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार-पत्र निकालने वाले ये प्रेस आंदोलनकारियों के बहुत बड़े हथियार थे जिनकी समाप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे कानून बनाए. ऐसा माना जाता है कि पहले भाषा का प्रयोग, उसके बाद लिपि एवं लेखन का प्रयोग एवं उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुणात्मक रूप से दुनिया के तीन सबसे बड़े

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

जारी.....

आविष्कार हैं जिन्होंने ज्ञान एवं विद्या के प्रसार एवं विकास में भारी योगदान किया. इसी कड़ी में चौथा आविष्कार इंटरनेट को माना जाता है. तकनीकी विकास शब्द जेहन में आते ही हमारा ध्यान इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की ओर चला जाता है. यही वह दौर था जब मशीनों की वजह से इंसानों के जीवन और जीवन-शैली में व्यापक बदलाव आए. उत्पादन के सभी क्षेत्रों में मशीनों को विकसित किया जाने लगा और हमारी मशीनों पर निर्भरता बढ़ी. औद्योगिक क्रांति से उत्पादित माल के लिए बाजार की जरूरतों ने दुनिया भर के विभिन्न देशों के बीच की दूरियाँ कम कर दी जिसकी वजह से दुनिया भर की भाषाओं के लिए एक नया द्वार खुला.

इसी दौरान 19वीं सदी की शुरुआत में कागज बनाने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ जो भाषायी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण थीं. इससे पूर्व लेखन के लिए प्रयुक्त होने वाले कागज का उत्पादन एक दुरूह कार्य था जिसमें वांछित गुणवत्ता प्राप्त करना काफी कठिन होता था. कागज उद्योग विकसित होने से लेखन और पठन का प्रचलन बढ़ा जो कि तमाम भाषाओं और साहित्य को अनंत काल तक लिखित रूप में सहेजने का माध्यम बना.

आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है जिसने मनुष्य की कागज पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है. कंप्यूटर के आगमन, प्रसार तथा इसपर हमारी बढ़ती निर्भरता ने कुछ समय तक के लिए भारत जैसी तीसरी दुनिया के देश के लिए स्थानीय भाषाओं के ह्रास का संकट पैदा कर दिया था परंतु नित-नए तरीके से विकसित होते इस यंत्र ने ऐसी बाधाओं को पार कर लिया है और अब यह सभी भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपलब्ध करा रहा है. कंप्यूटर ने टाइपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइपराइटर को चलन से बाहर किया परंतु शुरुआत में यह स्थानीय भाषाओं के लिए सहज नहीं था. इस समस्या का समाधान यूनिकोड के आगमन से हुआ जिसने हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए आसान प्लेटफॉर्म निर्मित किया.

इसके माध्यम से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ब्लॉग लिखे जाने लगे, जो कि अब तक केवल कंप्यूटर के आविष्कारक देशों की भाषाओं में लिखे जा रहे थे. आज हिंदी में अनेकों ब्लॉग लिखे और पढे जा रहे हैं, इतना ही नहीं समाचार पत्रों ने भी अब नियमित रूप से ब्लॉग छापने शुरू कर दिए हैं. यूनिकोड ने स्थानीय भाषाओं में टाइपिंग को आसान बनाकर इन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे- ट्विटर, फेसबुक पर भी स्थापित कर दिया है. गूगल वाइस टाइपिंग में हम गूगल डॉक्स के द्वारा हम अपनी आवाज के माध्यम टाइपिंग करने का आनंद उठा सकते हैं.

समेकित रूप से यह कहा जा सकता है कि आज हम तकनीकी युक्त वस्तुओं से चारों ओर से घिरे हुए हैं. तकनीकी विकास ने हमारी जीवन-शैली और समाज के ढांचे को भी प्रभावित किया है और भाषा भी इससे अछूती नहीं है.आज सूचना प्रौद्योगिकी की इस युग में हिंदी का महत्व पहले से अधिक हो गया है और यह महज राजकाज की संवैधानिक बाध्यता से निकलकर व्यवसायिक भाषा के रूप में उभर कर सामने आयी है.

सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है, तो वो देवनागरी ही हो सकती है.

- जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

भारतीय भाषा और लिपि के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान

राजीव तिवारी, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) आंका पुणे

ज़्यादातर भारतवासी कंप्यूटर के बारे में क्यों कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि एक हमारा ही देश अनोखा है जहाँ तकनीक की पहुँच आम आदमी तक नहीं है. इसका कारण यह है कि इस विषय को (भारत में अन्य उच्च शिक्षा की तरह) अंग्रेज़ी के फंदे में बाँध दिया गया है. उच्च शिक्षा प्राप्त दो प्रतिशत भारतीयों में से कुछ ही लोग इसका नियमित प्रयोग कर रहे हैं. बचे हुए लोग कंप्यूटर की शिक्षा के हकदार इसलिए नहीं हैं क्योंकि हिंदी या भारतीय भाषाओं में काम करने वाले कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं.

कैसी विडंबना है ये !

चीन, कोरिया, जापान इत्यादि देशों में कंप्यूटर तो आया लेकिन ऐसा कंप्यूटर जो कि अपनी भाषा में काम करने में सक्षम हो. इससे समस्त देशवासियों को समान रूप से लाभ पहुँचा. हमारे देश में उल्टी गंगा चलती है. यहाँ यदि आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहें तो पहले आपको अंग्रेज़ी सीखने की आवश्यकता पड़ेगी. कितनी अजीब बात है कि हमें हर नई चीज़ सीखने के लिए अंग्रेज़ी पर निर्भर करना पड़ता है. भारतीय आदमी पढ़ता लिखता है तो उसकी बात करने की भाषा पहले बदलती है. हम भारतीयों की मानसिकता ऐसी क्यों है?

स्वतंत्रता के बाद हमारे नीति निर्णायकों, अभिजात्य एवं पढ़े लिखे वर्ग के लोगों ने अंग्रेज़ी को हर मुख्य विभाग की कार्यकारी भाषा बना दिया जबकि सच यह है कि हिंदी ज़्यादा भारतीय लोगों तक पहुँचती है और समझी जाती है. कुछ हद तक इसकी ज़िम्मेदार हमारे देश की क्षेत्रीय व राष्ट्रीय राजनीति है. यदि हमारे देश के आम आदमी को कंप्यूटर में उनकी ज़रूरत के मुताबिक दक्षता हासिल करनी है तो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार हिंदी और अन्य भाषाओं में होना ज़रूरी है. इससे एक तो लोगों का अंग्रेज़ी में दक्ष होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरे यह भारतीय भाषाओं के साहित्यिक एवं रचनात्मक विकास में भी सहायक होगी. इसका असली फायदा यह होगा कि कंप्यूटर का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाएगा. हर व्यक्ति इंटरनेट के ज़रिए विभिन्न तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकेगा और वह समस्त विश्व के साथ जुड़ जाएगा. कंप्यूटर अनभिज्ञ वर्ग समाज का एक बहुत बड़ा अंग है और सबको अंग्रेज़ी सिखाते-सिखाते दसों साल लग जाएँगे.

सूचना प्रौद्योगिकी का भारतीय भाषाओं में प्रसारण भारतीय जनमानस को साक्षर एवं जाग्रत बनाने के लिये एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है. इसका सीधा सा उदाहरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हिंदी में विज्ञापन प्रसारित करना है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मकसद इसके पीछे हिंदी का प्रेम नहीं बल्कि आम आदमी तक अपने उत्पादों को पहुँचाना है. एक और उदाहरण बॉलीवुड का है. आज बॉलीवुड का इतना व्यापार इसलिए है क्यों कि वहाँ हिंदी फ़िल्में बनती हैं न कि अंग्रेज़ी. पर हमारे लोग यह सब जानकर भी अपनी भाषाओं के प्रति अनजान बने हुए हैं और भारतीय भाषाओं के पूर्ण पतन का रास्ता साफ़ कर रहे हैं. अगर हमको यह सब कुछ साकार करना है तो हम सबको ख़ासतौर पर पढ़े लिखे एवं बुद्धिजीवी लोग जैसे कि इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, सरकारी एवं राजकीय कार्यकर्मी व उद्योगपतियों को आगे आना होगा. इसमें बहुत सारे परिश्रम, दृढ़ निश्चय, एक दूसरे का साथ देने की व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, तकनीक एवं पैसे की आवश्यकता है. यह काम एक रात में नहीं हो सकता है लेकिन यदि निश्चय के साथ किया जाय तो कुछ ही वर्षों में इसके परिणाम साकार हो सकते हैं.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

जारी.....

हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित व जाग्रत हो. सूचना प्रौद्योगिकी के भारतीय भाषाओं में प्रसारण के लिए उचित साधनों (सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व शिक्षक) का होना बहुत ज़रूरी है जो कि भारतीय भाषाओं में सुचारु रूप से कार्य कर सकें. यह काम दुनिया के कई देशों में किया जा चुका है जैसे कि जापान, कोरिया, लगभग सारे यूरोपीय देश एवं हमारा पड़ोसी चीन जहाँ सबकुछ मैंडेरिन में सुचारु तरह से चल रहा है. जब यह काम वहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है.

इस काम में बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं आनी चाहिए यदि हम सचमुच में सूचना प्रौद्योगिकी की महाशक्ति हैं और हमारे सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर इंजीनियर सचमुच में होशियार हैं. इस काम में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे कि इन्फोसिस एवं विप्रो व भारतीय शिक्षा एवं शोध संस्थानों जैसे कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों व अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों सी डेक इत्यादि को आगे आकर इस चुनौती को स्वीकार करके कार्यरत होना होगा.

क्यों हम भारतीय भाषा में काम करने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावरपाइंट इत्यादि जैसे सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं? क्यों हमारे पास भारतीय भाषाओं में ईमेल वाला सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता?

इस समय उपलब्ध अंग्रेज़ी के सॉफ्टवेयरों पर यह कर पाना संभव है लेकिन यह सब बिना उचित फॉन्ट के करना संभव नहीं है. साथ में दूसरी तरफ़ के व्यक्ति के पास भी उचित फॉन्ट का होना आवश्यक है. कोरिया जापान इत्यादि देशों में पूरा का पूरा कंप्यूटर तंत्र उनकी भाषाओं में काम कर सकता है लेकिन अभी तक भारतीय भाषाओं में यह करना संभव नहीं है. इसका कारण हमारी असमर्थता या अज्ञान नहीं है बल्कि हमारी इच्छाशक्ति का कमज़ोर होना है. हम लोगों ने कभी भी इन सब चीज़ों को भारतीय भाषाओं में काम करने लायक समझा ही नहीं है क्यों कि हम अपनी भाषाओं को पिछड़ा हुआ समझते हैं. भाषा पिछड़ी हुई नहीं होती बल्कि आदमी की सोच पिछड़ी हुई होती है और ठीक यही हम भारतीयों के साथ है. दुर्भाग्यवश हमने अपने पिछड़ेपन का दोष भाषा के माथे मढ़ दिया.

हमने यह नहीं समझा कि भाषा एक समाज का आइना होती है, उसके लोगों की पहचान होती है, संस्कृति का सूचक होती है. ज़रूरत यह है कि हम अंग्रेज़ी व अंग्रेज़ी बोलने वालों को ऊँचा समझना बंद करें व इसे केवल एक विदेशी भाषा की तरह सीखें व उतना ही सम्मान दें. राष्ट्रभाषा न बनाएँ.

ज़रूरत है हिंदुस्तानियों को आपस में हिंदी या किसी और भारतीय भाषा में बात करने की वरना हमें पता भी नहीं लगेगा और हम अपनी मातृभाषा अनजाने में भूल जाएँगे. कहते हैं जिस चीज़ का अभ्यास जितना करो वो उतनी ही मज़बूत होगी और जिसका जितना कम वो चीज़ उतनी ही कमज़ोर होगी. ये कहावत भाषा के साथ भी लागू होती है.

सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में आज हमारे पास ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपनी पुरानी ग़लतियों को सुधार सकते हैं. हम भारतीय भाषाओं को उनका यथेष्ट सम्मान दे सकते हैं.

अंत में आज हमारी जो भी पहचान है वह भारत व भारतीय भाषाओं के माध्यम से है. हमारा यह धर्म है कि हम भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दें व उनके विकास में यथासंभव प्रयत्न करें.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

इस प्रकार कराएं हिन्दी अक्षरों की पहचान

अ से अज - सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसका जन्म नही होता. जो अजर और अमर है, अखण्ड और अविनाशी है. अनंत और अनादि है.

आ से आर्य - जीवन की उन्नत दशा और दिशा को दर्शाने वाले धीर वीर गंभीर और दिव्य गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति का चित्र जो प्राचीन काल में भारत में आर्य के नाम से संबोधित किया जाता था. यहां के रहने वाले लोग आर्य, यहां की भाषा आर्य भाषा (संस्कृत) तथा देश का नाम आर्यावत्र्त था. कालांतर में भारतीय, भारती और भारत व हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान इसी समीकरण को पूर्ण कराने वाले शब्द कवियों और विद्वानों ने खोजे.

इ से इंदु - इन्दु चंद्रमा को कहते हैं. यह शब्द बड़ा ही प्यारा है. यूनानी इन्दु को इण्डु कहते थे. मुसलमानों से पूर्व भारतीय लोगों को इन लोगों ने इण्डु (सिंधु से इन्दु का उच्चारण किया जाना) या इन्दु इसलिए भी कहा था कि हमारे पंजाब और कश्मीर के जिन लोगों के संपर्क में यूनानी आए उनकी खूबसूरती चंद्रमा के समान थी.

ई से ईशान - शिव के रूप में सूर्य की मुखाकृति. शिव कल्याणकारी को कहते हैं सूर्य पूरे भूमंडल के जीवधारियों के लिए शिव कल्याण कारक है. इसलिए इस महान देवता के विषय में बताते हुए विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाए.

उ से उत्सव - उत्सव जीवन में उत्स-उत्साह को उत्पन्न करते हैं. इससे जीवन संगीतमय बना रहता है. जीवन में इसलिए उत्सवों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है.

ऊ से ऊषा - 'ऊ' के लिए ऊषा-प्रात:काल के स्वैर्गिक वातावरण को दर्शाने वाला चित्र. बहुत ही सुंदर संस्कार देने वाला काल और जीवन को उन्नति में ढालने वाला पवित्र काल.

ऋ से ऋषि - चिंतन के अधिष्ठाता ऋषि का चित्र. पूरा भारतीय वांग्मय चिंतन की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाला और आनंद प्रदायक है. इस अक्षर के लिए ऋषि का चित्र ही सबसे उत्तम है.

ए से एकल - एकाकी व्यक्ति. एकाकीपन हमारे लिए ईश्वर भजन के लिए सर्वोत्तम होता है. प्राचीन काल में ऐसी अवस्था का उपयोग हमारे पूर्वज जीवन की साधना के लिए किया करते थे. एकाकीपन ईश्वरीय आनंद की अनुभूति कराने में सहायक होता है.

ऐ से ऐरावत - 'ऐरावत' नामक इंद्र के हाथी का हमारे इतिहास में विशेष उल्लेख है. ऐरावत के माध्यम से बच्चों को इतिहास की झलक दिखायी जा सकती है.

ओ से ओ३म् - सृष्टि का सबसे प्यारा शब्द, ईश्वर का निज नाम. सर्वरक्षक ईश्वर सर्वान्तर्यामी सर्वाधार, सर्वेश्वर और सर्वव्यापक परमात्मा के सभी गुण, कर्म, स्वभाव का वाचक शब्द.

औ से औषधि - औषधियों का जीवन में विशेष महत्व है. बच्चों को औषधियों के चित्रों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी खेल खेल में दी जाए. हिंदी वर्णमाला में ये सारे अक्षर स्वर कहलाते हैं.

संस्कृत में इनकी संख्या तेरह है स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े.तनिक सोचें: गुरूनानक ने सिखों को नाम के पीछे सिंह लगाना सिखाया तो सिख जाति संसार की सबसे बहादुर कौम बनी. महर्षि दयानंद ने हमें आर्य शब्द दिया तो भारत में ज्ञान विज्ञान की धूम मच गयी. इसलिए उ से उल्लू और ग से गधा बनने की बजाए अपने वर्णों के वैज्ञानिक अर्थों को समझकर उनके अनुसार चित्र बनाकर बच्चों को वैज्ञानिक बुद्धि का बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए. इसलिए उपरोक्तानुसार पढ़ाया जाना आवश्यक है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

राष्ट्रकवि - सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय

किसी का सत्य था,
मैंने संदर्भ में जोड़ दिया.
कोई मधुकोष काट लाया था,
मैंने निचोड़ लिया.
यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ
काव्य-तत्त्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ?
चाहता हूँ आप मुझे
एक-एक शब्द पर सराहते हुए पढ़ें.

पर प्रतिमा- अरे, वह तो
जैसी आप को रुचे आप स्वयं गढ़े.

उपर्युक्त पंक्तियाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नया कवि, आत्म-स्वीकार से उद्धृत हैं. अज्ञेय ने रचना सृजन के दौरान की मनोस्थिति को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ अभिव्यक्त किया है. साहित्य का आविर्भाव भी इसी समाज से होता है जिसे रचनाकार अपने भावों के साथ मिलाकर उसे एक आकार देता है. यही रचना समाज के नवनिर्माण में पथप्रदर्शक की भूमिका निभाने लगती है. अज्ञेय मानते हैं कि साहित्यकार होने के नाते अपने समाज के साथ उनका एक विशेष प्रकार का संबंध है- समाज से उनका आशय चाहे हिंदी भाषी समाज रहा हो जो कि उनका पहला पाठक होगा, चाहे भारतीय समाज जिसके काफी समय से संचित अनुभव को वे वाणी दे रहे होंगे, चाहे मानव समाज हो जो कि शब्द मात्र में अभिव्यक्त होने वाले मूल्यों की अंतिम कसौटी ही नहीं बल्कि उनका स्रोत भी है.

हम पाते हैं कि साहित्य वह सशक्त माध्यम है, जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है. यह समाज में प्रबोधन की प्रक्रिया का सूत्रपात करता है. लोगों को प्रेरित करने का कार्य करता है और जहाँ एक ओर यह सत्य के सुखद परिणामों को रेखांकित करता है, वहीं असत्य का दुखद अंत कर सीख व शिक्षा प्रदान करता है. अच्छा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है. यही कारण है कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है. इससे समाज को दिशा-बोध होता है और साथ ही उसका नवनिर्माण भी होता है. साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ-साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है एवं कालखंड की विसंगतियों, विद्रूपताओं एवं विरोधाभासों को रेखांकित कर समाज को संदेश प्रेषित करता है, जिससे समाज में सुधार आता है और सामाजिक विकास को गति मिलती है.

साहित्य में मूलत: तीन विशेषताएँ होती हैं जो इसके महत्त्व को रेखांकित करती हैं. उदाहरणस्वरूप साहित्य अतीत से प्रेरणा लेता है, वर्तमान को चित्रित करने का कार्य करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है. साहित्य को समाज का दर्पण भी माना जाता है. हालाँकि जहाँ दर्पण मानवीय बाह्य विकृतियों और विशेषताओं का दर्शन कराता है वहीं साहित्य मानव की आंतरिक विकृतियों और खूबियों को चिह्नित करता है. सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि साहित्यकार समाज में व्याप्त विकृतियों के निवारण हेतु अपेक्षित परिवर्तनों को भी साहित्य में स्थान देता है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

साहित्यकार से जिन वृहत्तर अथवा गंभीर उत्तरदायित्वों की अपेक्षा रहती है उनका संबंध केवल व्यवस्था के स्थायित्व और व्यवस्था परिवर्तन के नियोजन से ही नहीं है, बल्कि उन आधारभूत मूल्यों से है जिनसे इनका निर्णय होता है कि वे वांछित दिशाएँ कौन-सी है, और जहाँ इच्छित परिणामों और हितों की टकराहट दिखाई पड़ती है, वहाँ पर मूल्यों का पदानुक्रम कैसे निर्धारित होता है?

समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका के परीक्षण से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि साहित्य का स्वरूप क्या है और उसके समाज दर्शन का लक्ष्य क्या है? हितेन सह इति सष्टिमूह तस्याभाव: साहित्यम्. यह वाक्य संस्कृत का एक प्रसिद्ध सूत्र-वाक्य है जिसका अर्थ होता है साहित्य का मूल तत्त्व सबका हितसाधन है. मानव अपने मन में उठने वाले भावों को जब लेखनीबद्ध कर भाषा के माध्यम से प्रकट करने लगता है तो वह रचनात्मकता ज्ञानवर्धक अभिव्यक्ति के रूप में साहित्य कहलाता है.

साहित्य का समाजदर्शन शूल-कंटों जैसी परंपराओं और व्यवस्था के शोषण रूप का समर्थन करने वाले धार्मिक नैतिक मूल्यों के बहिष्कार से भरा पड़ा है. जीवन और साहित्य की प्रेरणाएँ समान होती हैं. समाज और साहित्य में अन्योन्याश्रित संबंध होता है. साहित्य की पारदर्शिता समाज के नवनिर्माण में सहायक होती है जो खामियों को उजागर करने के साथ उनका समाधान भी प्रस्तुत करती है. समाज के यथार्थवादी चित्रण, समाज सुधार का चित्रण और समाज के प्रसंगों की जीवंत अभिव्यक्ति द्वारा साहित्य समाज के नवनिर्माण का कार्य करता है.

साहित्य समाज की उन्नति और विकास की आधारशिला रखता है. इस संदर्भ में अमीर खुसरो से लेकर तुलसी, कबीर, जायसी, रहीम, प्रेमचंद, भारतेन्दु, निराला, नागार्जुन तक की श्रृंखला के रचनाकारों ने समाज के नवनिर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है. व्यक्तिगत हानि उठाकर भी उन्होंने शासकीय मान्यताओं के खिलाफ जाकर समाज के निर्माण हेतु कदम उठाए. कभी-कभी लेखक समाज के शोषित वर्ग के इतना करीब होता है कि उसके कष्टों को वह स्वयं भी अनुभव करने लगता है.

तुलसी, कबीर, रैदास आदि ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का समाजीकरण किया था जिसने आगे चलकर अविकसित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में समाज में स्थान पाया. मुंशी प्रेमचंद के एक कथन को यहाँ उद्धृत करना उचित होगा, "जो दलित है, पीड़ित है, संत्रस्त है, उसकी साहित्य के माध्यम से हिमायत करना साहित्यकार का नैतिक दायित्व है."

प्रेमचंद का किसान-मज़दूर चित्रण उस पीड़ा व संवेदना का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे होकर आज भी अविकसित एवं शोषित वर्ग गुज़र रहा है. साहित्य में समाज की विविधता, जीवन-दृष्टि और लोककलाओं का संरक्षण होता है. साहित्य समाज को स्वस्थ कलात्मक ज्ञानवर्धक मनोरंजन प्रदान करता है जिससे सामाजिक संस्कारों का परिष्कार होता है.

रचनाएँ समाज की धार्मिक भावना, भक्ति, समाजसेवा के माध्यम से मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य हित की सर्वोच्चता का अनुसंधान करती हैं. यही दृष्टिकोण साहित्य को मनुष्य जीवन के लिये उपयोगी सिद्ध करते हैं.

साहित्य की सार्थकता इसी में है कि वह कितनी सूक्ष्मता और मानवीय संवेदना के साथ सामाजिक अवयवों को उद्घाटित करता है. साहित्य संस्कृति का संरक्षक और भविष्य का पथ-प्रदर्शक है. संस्कृति द्वारा संकलित होकर ही साहित्य 'लोकमंगल' की भावना से समन्वित होता है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ इस संदर्भ में कहती है कि-

वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप
हृदय में प्रणय अपार
लोचनों में लावण्य अनूप
लोक सेवा में शिव अविकार.

उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी को भारतीय साहित्य के सांस्कृतिक एवं समाज निर्माण की शताब्दी कहा जा सकता है. इस शताब्दी ने स्वतंत्रता के साथ-साथ समाज सुधार को भी संघर्ष का विषय बनाया. इस काल के साहित्य ने समाज जागरण के लिये कभी अपनी पुरातन संस्कृति को निष्ठा के साथ स्मरण किया है, तो कभी तात्कालिक स्थितियों पर गहराई के साथ चिंता भी अभिव्यक्त की.

आठवें दशक के बाद से आज तक के काल का साहित्य जिसे वर्तमान साहित्य कहना अधिक उचित होगा, फिर से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर समाज निर्माण की भूमिका को वरीयता के साथ पूरा करने में जुटा है. वर्तमान साहित्य मानव को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर चला है. व्यापक मानवीय एवं राष्ट्रीय हित इसमें निहित हैं. हाल के दिनों में संचार साधनों के प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्यिक अभिवृत्तियाँ समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान अधिक सशक्तता से दे रही हैं. हालाँकि बाजारवादी प्रवृत्तियों के कारण साहित्यिक मूल्यों में गिरावट आई है परंतु अभी भी स्थिति नियंत्रण में है.

आज आवश्यकता है कि सभी वर्ग यह समझें कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है और उसके मूल तत्त्वों को संरक्षित करना जरूरी है क्योंकि साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले विचारों और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

'राष्ट्रभाषा' और 'राज्यभाषा' की आवश्यकता?

हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, यह बात तो स्वतंत्रता पूर्व से ही कही जा रही है. भारत के प्रायः सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने लगातार यह माँग की थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए. और इस माँग में हिंदी-भाषी क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हिंदीतर-भाषी क्षेत्र के क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता-सेनानियों और विद्वानों की रही. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है.'

स्वतंत्रतापूर्व किसी ने राजभाषा शब्द सुना भी न था. लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयाई कहे जाने वालों गांधी जी के देहांत के पश्चात उनकी तमाम बातों को भुला दिया. बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जनता की इस माँग पर इस दिशा में कुछ नहीं किया. और भाषा की राजनीति के चलते अब तो राजनीति प्रेरित कुछ लोग और उनसे आतंकित कुछ अन्य लोग विषय की गंभीरता को समझे बिना यह कहने लगे हैं कि दब भारत की 'राजभाषा' है तो फिर 'राष्ट्रभाषा' की क्या आवश्यकता है ? क्या फर्क पड़ता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा कहें या राजभाषा ? यह बात भी अपनी जगह सही है कि केवल नाम बदलने से तो कुछ नहीं होगा? केवल नाम बदलवा ना तो किसी का उद्देश्य भी न था और न है.

मैं तो एक और बात कहूंगा जिसकी चर्चा शायद अभी तक किसी ने नहीं की. वह मामला है राज्य भाषा का. जिस प्रकार राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रभाषा आवश्यक है, उसी तरह राज्य के स्तर पर राज्य की भाषा भी आवश्यक है. अभी दोनों ही स्तर पर ऐसा कोई वैधानिक या संवैधानिक प्रावधान नहीं है.

इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी होगा कि हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को समझ लें. राजभाषा का अंग्रेजी में शब्द है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी अधिकारिक भाषा. हिंदी भारत संघ की राजभाषा है, इसका मतलब वह भारत संघ के कामकाज की अधिकारिक भाषा है. ठीक इसी प्रकार राज्यों की स्थिति है. उदाहरण के लिए मराठी, महाराष्ट्र सरकार के कामकाज की अधिकारिक भाषा है. कन्नड़ कर्नाटक सरकार के कामकाज की अधिकारिक भाषा है. ऐसी ही स्थिति सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में है. और इनके साथ अंग्रेजी के प्रयोग के उपबंध भी किए गए हैं. इस प्रकार अघोषित रूप से अंग्रेजी भारत संघ और राज्यों की राजभाषा भी है.

राष्ट्रभाषा का अभिप्राय है राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से संपर्क के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा. ठीक इसी प्रकार राज्य के स्तर पर उनकी राजभाषा कानूनी रूप से शासकीय प्रयोग में लाए जाने वाली अधिकारिक भाषा है. अक्सर लोग यह कहते दिखते हैं कि सरकारी तौर पर तो भाषा निर्धारित है और जनता चाहे जिस भाषा में बात करे वह उसकी मर्जी है, दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं.

लेकिन इसमें एक बात छूट जाती है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. संघ और राज्यों के स्तर पर ऐसे अनेक कानून हैं जिनके अंतर्गत सूचना दिए जाने के प्रावधान हैं ताकि नागरिकों को उनके अधिकार मिल सकें, उनके साथ अन्याय न हो. यह कार्य किस भाषा में किया जाना है वह नियत नहीं किया गया है. विद्वानों की भाषा के बजाए इसे सामान्य नागरिक की भाषा में समझना बेहतर होगा. आपने अक्सर देखा होगा कि कोई सरकारी या निजी जमीन अथवा भवन खाली पड़ा हो तो अक्सर भ्रष्ट नेता, अधिकारी, और गुंडे किस्म के लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

जहाँ कोई उसका मालिक न हो तो किसी को आपत्ति भी नहीं होती. क्योंकि कानूनन भारत की कोई राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्रीय संपर्क भाषा नहीं और राज्यों के स्तर पर राज्यों में कोई राज्य भाषा अर्थात राज्य स्तर पर संपर्क भाषा भी नहीं. पिछले 75 वर्षों में इस खाली जगह पर भी कब्जा हो गया है. इन सब स्थानों पर अंग्रेजी ने चुपचाप धीरे-धीरे कब्जा अपना कब्जा जमा लिया है. समय के साथ-साथ वह अवैध कब्जा वैध सा लगने लगा है. अब जाने-अनजाने अंग्रेजी भारत की राष्ट्र भाषा बनती जा रही है.

राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा की आवश्यकता को समझने के लिए कुछ कानूनों का उदाहरण ले सकते हैं. ग्राहक कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपभोक्ता को उसके संबंध में समग्र जानकारी आवश्यक रूप से दी जाए और पैकिंग पर उसके बारे में बताया जाए. उसकी वैधता कब तक खत्म हो जाएगी? उसकी कीमत कितनी है? उसमें क्या-क्या मिला हुआ है? शाकाहारी है या मांसाहारी है? उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है? उसके प्रयोग के समय क्या क्या खतरे हो सकते हैं आदि. यह जानकारी कानून के अंतर्गत ग्राहक को देना आवश्यक है. लेकिन यह सूचना किस भाषा में देनी है यह नियत नहीं है.

भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं और राज्य की कोई राज्य भाषा नहीं. इसलिए सारी कंपनियाँ ये सूचनाएँ व जानकारी जाने - अनजाने प्राय: अंग्रेजी में देती हैं. कई वर्ष पूर्व किसीने गुजरात उच्च न्यायलय में याडिका दायर की कि उन्हें पैकिंग पर जानकारी हिंदी में मिलनी चाहिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है इस आधार पर न्यायालय द्वार उसकी याचिका खारिज कर दी गई.

इस प्रकार दश की 95% से अधिक आबादी जो अंग्रेजी नहीं जानती, या उसमें पारंगत नहीं है, उन तक यह जानकारी नहीं पहुंचती इस प्रकार न केवल उनके कानूनी अधिकारों का हनन होता है बल्कि इस कारण उनका शोषण भी होता है, उनके साथ धोखाधड़ी होती है और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो वह जानकारी न मिलने के कारण अक्सर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है.

मुझे अच्छी तरह याद है कि काफी वर्ष पहले एक बहुत बड़े बैंक के म्यूच्यूअल फंड का विज्ञापन आया. सरकारी बैंक होने के नाते उसका विज्ञापन हिंदी अखबार में हिंदी में भी आया. लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी थी और कानून और ग्राहकों को बताना जरूरी था, वह था रिस्क फैक्टर, यानी जोखिम की संभावना. उसमें यह बताया गया कि इसमें केवल फंड का पुराना रिकॉर्ड बहुत ही खराब है. अगर यह बात लोगों को पता चल जाती तो बड़ी संख्या में लोग उस फंड में निवेश नहीं करते, इसलिए उस बैंक ने हिंदी अखबार में छपे हिंदी विज्ञापन में यह जानकारी अंग्रेजी में दी.

हालांकि वहाँ तो राजभाषा अधिनियम भी लागू हो रहा था. लेकिन निजी कंपनियों पर न तो राजभाषा का कानून लागू होता है ना कोई अन्य कानून है इसलिए अनेक कंपनियां ग्राहकों को धोखा देने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेती हैं. अंग्रेजी में सूचना देने से कानूनी दायित्व भी पूरा हो जाता है और सूचना किसी को मिलती भी नहीं.

आपने देखा होगा कि आप में से अनेक लोगों ने बीमा पॉलिसी ली होगी, बैंकों से ऋण लिया होगा, मोबाइल नेवर्क के लिए किसी कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए होंगे, अनेक कंपनियों से अनुबंध किए होंगे. ज्यादातर लोग उसमें आंखें बंद करके बिना समझे हस्ताक्षर करते हैं क्योंकि अंग्रेजी में होने के कारण उन्हें समझ ही नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है ? जब उनके साथ धोखा होता है तो वकील बताता है कि अनुबंध में अमुक बात लिखी है, जिस पर आपके हस्ताक्षर हैं. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा शेयरधारकों को कंपनी के हिसाब-किताब गतिविधियों आदि की जानकारी दी जानी होती है. अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि जानकारी केवल अंग्रेजी जानने वालों को दी जाए.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

यदि कोई धनी व्यक्ति जो किसी कंपनी में लाखों - करोड़ों रुपए का निवेश कर रहा है और उसे अंग्रेजी नहीं आती है तो उसे भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कोई सूचना नहीं मिल पाती. इस प्रकार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसके प्राप्त अधिकारों का हनन होता है.

और ऐसे 2-4 नहीं अनेक कानून हैं. हर कोई इनसे परेशान है, हर किसीके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, नुकसान उठाना पड़ता है. पर हर कोई चुप रहता है, सबने इसे अपनी नियति मान लिया है. बात भाषा नीति की नहीं, जनतंत्र की है, न्याय की है, जनता को शोषण से बचाने की है, जनता के कानूनी अधिकारों की है. इसलिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सूचनाएँ दी जानी अनिवार्य हैं वे जनता की भाषा में होनी चाहिए. अत: यह अनिवार्य है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्रीय संपर्क भाषा हो और राज्यों के स्तर पर राज्य की संपर्क भाषा होनी चाहिए.

भारत के संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक को किसी भी राज्य में व्यापार करने बसने, आने-जाने, नौकरी करने आदि के प्रावधान है. केंद्रीय कार्यालयों, कंपनियों तथा विभिन्न कंपनियों आदि के अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होते रहते हैं. उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे अनेक राज्यों की भाषाएँ सीख सकें. इसका स्वभाविक व सरल उपाय यही है कि संघ और राज्यों के विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अनिवार्यत: दी जाने वाली सूचनाओं की भाषा संघ और राज्य की भाषाएं होनी चाहिए. जिन्हें क्रमश: राष्ट्र व राज्यभाषा कहा जाए. इसके अतिरिक्त यदि कोई कंपनी किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहे तो वह कर सकती है.

यहाँ इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय भाषा और राज्यभाषा का मामला भाषा का न होकर जनता के अधिकारों का और उन्हें शोषण अन्याय और धोखाधड़ी से बचाने का है. यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा की जगह पर किए गए अंग्रेजी के अवैध कब्जे को हटाते हुए जन संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर संघ की राजभाषा को भारत की राष्ट्रभाषा भी बनाया जाए और राज्य के स्तर पर राज्य की भाषा के रूप में राज्य की राजभाषा को राज्यभाषा भी बनाया जाए और इन्हें इनका स्थान दिया जाए.

मेरा सभी विद्वानों से न्यायधीशों से, अधिवक्ताओं से, सरकारों में बैठे उच्चाधिकारियों व मंत्रियों आदि से अनुरोध है कि वे इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और जनहित को ध्यान में रखते हुए हिंदी को भारत की राजभाषा को राष्ट्रभाषा और राज्य के स्तर पर राज्य की राजभाषा को राज्य की राज्यभाषा भी बनाने के लिए संविधान में आवश्यक प्रावधान किए जाएँ.

'यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है'

- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

वित्तीय साक्षरता- वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

वित्तीय साक्षरता या वित्तीय शिक्षण और वित्तीय समावेशन दोनो एक ही सिक्के के दो पहलू है. इसलिये वित्तीय समावेशन की चर्चा करना महत्वपूर्ण है. वित्तीय समावेशन में वित्तीय साक्षरता कि महत्वपूर्ण भूमिका है. भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एवं स्वंय सेवी संगठन वित्तीय साक्षरता के प्रसार में व्यापक योगदान कर रहे है. वित्तीय समावेशन को व्यापकता प्रदान करने में प्रोद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, प्रोद्योगिकी के द्वारा, वित्तीय समावेशन कि लागत को कम करना संभव हुआ है. वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैकिंग सेवाओं को वहनीय लागत पर समाज के गरीब एवं अन्य समूह के विशाल वर्ग तक पहुंचाना, यही बैंको के राष्ट्रीयकरण का परम उद्येश्य भी रहा है.

19 जुलै 1969 को 14 बैको का एवं 1980 को 6 बैकों का राष्ट्रीयकरण किया गया. वित्तीय समावेशन का पहला प्रयास बैको का राष्ट्रीयकरण ही रहा है, उस समय सीमीत बैकिंग का स्थान व्यापक बैकिंग या मास बैकिंग के द्वारा लिया गया. आज वित्तीय समावेशन के दौर मे केवल इसी पर ध्यान दिया जा रहा है. वित्तीय समावेशन का पहला प्रयास एक मायने मे बैकों का राष्ट्रीयकरण ही रहा है. इसी के द्वारा ग्रामीणों को साहुकार, महाजनों के चंगुल से मुक्त कराया गया और उन्हे आर्थिक विकास में भागीदार बनाया गया. बैंको द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में बचत, ऋण, बीमा,भुगतान एवं धनप्रेषण आदि है, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बैकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों में बैकिंग कि आदत डालना एवं उन्हे महाजन,साहुकार तथा असंगठित मुद्राबाजार द्वारा किये जा रहे शोषण से छुटकारा दिलाना है. भारत में बैकिंग उद्योग में पिछले दो दशकों में खासकर आर्थिक सुधारो के लागु करने के बाद निरंतर विकास किया है, परंतु लाभप्रदता, अर्थक्षमता और प्रतिस्पर्धा जैसे कुछ निषादनों में अच्छी सफलता प्राप्त करने के बावजूत, ऐसी सफलता वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में असफल रही है. राष्ट्रीयकरण के पश्चात ही बैकिंग सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रो तक हुआ है. इसी कडी मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना 1975 में की गई थी, जो वित्तीय समावेशन के लिये बहुत कारगिर साबित हुई. ग्रामीण क्षेत्रो मे विशेषकर किसान,शिल्पकार लघु उद्योग उद्यमीयों तथा निर्धन आबादी को भी बैकिंग सुविधा उपलब्ध हुई. आर्थिक सुधारो के चलते ग्रामीण बैंक, बंगलादेश के अनुभवों के आधार पर 1992 में स्वंय सहायता समूह की पहल की गई. इसी प्रकार किसानों के लिये 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कि शुरूवात कि गई. इतना सब कुछ करने के बावजूद आज भी देश के कुल आबादी का अधिकत्तर भाग बैकिंग सेवाओं से वंचित है. वित्तीय समावेशन के मार्ग मे अनेक चूनौत्तीया है,जैसे कि अशिक्षा तथा वित्तीय जानकारी का अभाव, बैकों का कार्य समय ग्रामीणो के लिये उपयुक्त न होना, स्थानिय भाषा कि समस्या, बैंक कर्मचारियों का रवैया, बैंक के द्वारा अनेक दस्तावेजो कि माग, लंबी स्विकृती प्रक्रिया, समय पर ऋण का न मिलना, आधारभूत सुविधाओं का अभाव.

इस संदर्भ में दिल्ली स्थित इंडीयन काउसिंल फारँ रिसर्च आँन इंटरनँशनल इकानामिक रिलेशन द्वारा प्रकशित तथ्यो से जाहिर है कि वित्तीय समावेशन मे भारतीय बैको द्वारा बहुत कार्य करना बाकि है. विश्वभर के 100 देशो मे भारत को 50 वे स्थान पर रखा गया है. भारत से छोटे छोटे देशो मे वित्तीय समावेशन पर अधिक कार्य किये गये है. कुछ अफ्रिकी देश जैसे मोरक्को 37 स्थानपर , केनया 40 वे स्थान पर तथा दक्षिण अमेरिका के गुयाना को 45 स्थानपर रखा गया है.

वित्तीय समावेशन का मतलब है,समाज के सभी वर्गों को , जो बैकिंग सेवाओ से वंचीत है तथा कम आयवाले व्यक्ती है,जो बैकिंग से जूडे नही है, ऐसे व्यक्तियो को, आर्थीक दृष्टी से कम लागत पर बैकिंग सेवाए उपलब्ध कराना, बैकिंग सेवाओ में जरुरतमंद , गरीब तबके के व्यक्तियो को कम ब्याज दर पर ऋण , जमा जैसे वित्तीय उत्पादो एवं सेवाओ को कम लागत पर

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

पहुंचाना आदि शामिल है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वे में पाया गया है कि 41% वयस्क जनसंख्या का अधिकत्तर हिस्सा अभी भी बैकिंग धारा से जुडा नही है. यह समस्या पूर्व उत्तरी क्षेत्र में अधिक गंभीर है. कृषी एंव ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार का पहला कदम अखिल भारत्तीय ग्रामीण ऋण समिती की स्थापना करना था, जिसके अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण, अर्धशहरी क्षेत्रों में बैकिंग सेवाए बहाल करने के लिए 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडीया का राष्ट्रीयकरण किया गया. 1972 मे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का निर्धारन करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैको, विदेशी बैकों के लिये क्रमश 40% एव 32% ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में देने के लिये बाध्य किया गया है. इसी के साथ कुछ बदलाव करके स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जंयती शहरी स्वरोजगार योजना शुरु कि गई है.जिसके अंतर्गत बैंको के द्वारा गरीब तबके के लोगों कों वित्तीय सहायत्ता उपलब्ध कराई जा रही है.

भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बैकों को निर्देश दिये है कि वे एक आधारभुत बैकिंगवाले " नो फ्रिल " बचत खाते खोले, इन नो फ्रिल खातो में न्युनत्तम शेष राशि \ सेवा प्रभार शुन्य होने चाहिए या बहुत ही कम होने चाहिए. ऐसे नो फ्रिल खातों के लिये किसी प्रकार की छिपी लागत नही होनी चाहिए. इस प्रकार के खाते खोलने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा न्युनतम आय वर्ग के लोगों को बैंकिग सेवाए सुलभ कराने की दुष्टी से " अपने ग्राहक को जानिए " क्रियाविधी को सरल बनाया है.

यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचन और पत्ते के साक्ष्य के रुप में किसी प्रकार का दस्तावेज बैंक मे देने के लिये असमर्थ हो, तो भी बैंक नो फ्रिल बचत खाता खोल सकता है. सिर्फ खाते का विधीवत परिचय कराया जाना चाहिये. खाते के परिचयकर्ता का खाता पिछले छ माह से संतोषप्रद ढगं से परिचालित होना चाहिए तथा परिचयकर्ता का खाता, अपने ग्राहक को जानीए अर्थात के वाय सी क्रियाविधी के अनुसार खोला हुआ होना चाहिये, इसी कडी मे 'नो फ्रील खातो मे रु. 25000/- तक ओव्हरड्राफ्ट स्विकृत किया जा सकता है, यह ओव्हरड्राफ्ट खाते में बकाया राशि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कृषी क्षेत्र में वर्गिकृत किया जा सकता है.

खान समिती के अनुशंसा के अनुसार वितीय समावेशन सुनिश्चित करने के उद्येश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैको को निर्देशित किया है कि वे व्यवसाय सुविधादाता (बिजनेस फैसिलेटर) तथा व्यवसाय संवाहक (बिजनेस करसपोडंट) माडल के माध्यम से गरिब, उपेक्षित, निम्न आय वर्ग के लोगों को वितीय सेवाए प्रदान करे. व्यवसाय सुविधादाता माडेल के अंतर्गत बैंक किसान क्लब, सहकारी संस्था, डाकघर ,बीमा एजंट, एन जी ओ, कृषी सेवा केंन्द्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इ. माध्यमों का प्रयोग कर सकते है. इन सुविधादाताओं से बैकं रोकड प्रंबधन, ऋण परामर्श सेवा,उधारकर्ता की पहचान, ऋण आवेदन पत्र जमा करना, प्रांरभिक प्रोसेसिग करना, सूचना का सत्यापन करके बैकं को देना,वसुली संबधित कार्य, अनुवर्ती कार्यवाही, बैंकिग सेवा तथा अन्य उत्पादो कि जानकारी देना आदि सेवाएं बैंक के द्वारा ली जा सकती है. उसी प्रकार व्यवसाय संवाहक माडल के अंतर्गत बैंक एन.जी.ओ, डाकघर इ. को बिजनेस संवाहक के रुप मे नियुक्त कर सकते है, तथा उनसे छोटे ऋणों का वितरण, छोटे छोटे जमाओं का संग्रहण, लघु बीमा, छोटे छोटे प्रेषण, भुगतान आदि, कार्य लिये जा सकते है.

इससे ग्रामीण क्षेत्रो के ग्राहक को वित्तीय सेवाए लेने के लिये दूर दराज बैंक जाने कि आवश्यकता नहीं होगी. बैंक से संबधित सेवाए उन्हे उसी गांव मे प्राप्त हो जाएगी. भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिस गांव की कुल आबादी 2000 है, उस गांव में बैको को व्यवसाय सुविधादाता (बिजनेस फैसिलेटर) तथा व्यवसाय संवाहक (बिजनेस करसपोडंट) या शाखा खोलकर बैंकिंग सेवाए देने के निर्देश दिए है, ताकी सभी ग्रामिणो को बैंकिंग सेवाए प्राप्त हो. इसके अनुसार जिले के प्रत्येक कस्बे, गांव में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य का बैंक में खाता खोला जाना है. बैंक मे खाता खोलना, वित्तीय समावेशन योजना की पहली सीढी है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

प्रतिदिन लगभग 20,000 नए ग्राहक बैकों से जुड रहे है. एक महंगी ग्रामीण शाखा की स्थापना करने के बजाय कोई बैंक किसी ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ अपने एक 'बैंकिंग संवाददाता' को नियुक्त करता है. वह बैंकिंग संवाददाता कोई भी हो सकता है. उदाहरण के लिए आप किसी किराना स्टोर के मालिक को ही ले लीजिए जिसे किसी बैंक ने एक बैंकिंग संवाददाता के रूप में नियुक्त किया है. वह बैंकिंग संवाददाता 20,000 रुपये की लागत वाले 'नियर फील्ड कम्युनिकेशंस' फोन, एक स्कैनर, एक थर्मल प्रिंटर की मदद से ग्राहकों को बैंक संबंधी सूचनाओं का विवरण मुहैया कराता है. उस फोन में वायरलेस कनेक्शन होता है जो वास्तव में बैंक के सर्वर से जुड़ा होता है. इसके जरिए ग्राहकों से जुड़े सभी विवरणों को भेजा जाता है. लिहाजा, किसी ग्रामीण शाखा की स्थापना में 3 से 4 लाख रुपये खर्च करने के बजाय बैंक महज 20,000 रुपये की नाममात्र की राशि पर ही वित्तीय समावेशन के काम को अंजाम दे रहा है.

अधिकांश बैंक प्रबंधकों का कहना है कि अब वे इस स्थिति में आ चुके हैं कि वे ग्रामीण बैंकिंग में अपनी पैठ बना सके. बात चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की हो या फिर ग्रामीण रोजगार एजेंसियों की, सरकार की विभिन्न शाखाओं से लाखों स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं. ये पहल इस बात का संकेत देते हैं कि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में काम हो रहा है.

इसी तरह, भारती एयरटेल जैसी देश की अग्रणी दूरसंचार कंपनियां भी कम लागत वाले मनी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट यानी धन हस्तांतरण उपकरण पर काम कर रही हैं. हालांकि उन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को उनके मोबाइल फोन नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा. अगले एक से दो साल में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की तुलना में यहां ग्राहकों की संख्या और भी अधिक हो जाएगी

जिस तरह बड़े शहरों में प्रमुख बैंक तकनीक का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों (बीमा, म्युचुअल फंड आदि) को बेचते हैं, ठीक उसी तरह ग्रामीण शाखाओं में भी उन उत्पादों को बेचा जा सकता है.वित्तीय समावेशन खुद अपने आप में एक लक्ष्य है. वित्तीय समावेशन का एक जबरदस्त उदाहरण राजस्थान सरकार की भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना है जिसे वसुंधरा राजे के कार्यकाल में शुरू किया गया था.इस योजना के तहत करीब 50 लाख से भी अधिक गरीब परिवारों के लिए बैंक खाते खोले गए थे.

भारतीय रिजर्व बैंक देश के गांवों में वित्तीय समावेशन पूरी करने की तैयारी कर रहा है इसके तहत योजना यह है कि देश के हर जिले के ऐसे सभी गांवों में लोगों के बैंक खाते खुलवाए जाएगें, जिनकी आबादी 2000 से ज्यादा है. वित्तीय समावेशन के पहले चरण में 73000 गांवो का चयन किया गया था. अभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यपालको को निर्देश दिये है कि वित्तीय समावेशन के द्वितीय चरण को अपनाये ताकी सभी गैर बैंकिंग क्षेत्र के सभी गावों मे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो.

प्रत्येक जिले के अग्रणी बैंक को वित्तीय समावेशन को पूरा करने की रूपरेखा बनाकर भारतीय रिजर्व बैंक को मार्च, 2011 देनी थी. इसके अलावा सभी वाणिज्यिक बैंकों, निजी बैंकों और विदेशी बैंकों को भी निर्देश दिए थे, जिसके तहत देश बैंकों को वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी बोर्ड की मंजूरी भी मार्च 2011 तक लेनी थी. इसके तहत बैंकों को अगले तीन सालों के लिए वित्तीय समावेशन संबंधी योजना देनी थी. देश के छह लाख रिहायशी क्षेत्रों में केवल 30,000 वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं हैं जिनके जरिए देश की केवल 40 फीसदी लोगों के पास बैंक के खाते हैं. वर्ष 2003 के आंकड़ों के अनुसार देश के 51 फीसदी किसानों के परिवार संगठित क्षेत्र के जरिए कर्ज नहीं ले पाते हैं.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

हालांकि यह आंकड़े भी पूरी सच्चाई बयांन नही करते हैं. सच्चाई इससे भी ज्यादा बुरी है. ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि देश में जल्द से जल्द वित्तीय समावेशन किया जाय. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय समावेशन के जरिए न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उसके हकदारों को मिल सकेगा, और बचत संस्थाओं में चेक और बचत खातों को चलाने के बारे में सरल जानकारी होगी. अब, ग्राहकों में,विशेषकर ग्रामीण नागरिकों में विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद व सेवा और इन्हें उपलब्ध कराने वालों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिये. पिछले, कम-ऋणी पीढ़ियों को क्रेडिट के पहलुओं जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव और क्रेडिट खातों के गलत प्रबंधन से होने वाले परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी रखने की जरूरी नहीं थी.

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य :

- प्रत्येक परिवार / व्यक्ति को बैंकिंग आदत से जोडना
- परिवार / व्यक्ति में बचत की आदत डालना और आय एवंम खर्चे को संतुलित करना.
- भविष्य में आकस्मिक खर्चे मे होने वाले महाजनी से मुक्ति दिलाना.
- जमा धन को लगातार वृध्दी देना.
- बैंकिंग सुविधाओं तथा सरकारी योजना के लाभ को सुगमता प्रदान करना.लोगों मे आत्म विश्वास,व्यवसायिक एवं उद्योगोन्मुखी क्षमता का विकास करना.
- मनरेगा, पेंशन एवं छात्रवृत्ति भुगतान को सुविधाजनक बनाना.
- डोरस्टेप बैंकिंग अर्थात सचल कार्यालयो, सूचना प्रोद्योगिकी आधारित तकनिक तथा व्यवसाय संवाहक माडल के माध्यम से बचत / नो फ्रिल खातों मे परिचालन कि सुविधा उपलब्ध कराना.

वित्तीय समावेशन का सही रुप में लाभ लेने के लिये लोगो को वित्तीय साक्षर कराना होगा अर्थात लोगो को बैंक, बैंकिंग के फायदे आदि की शिक्षा देना आवश्यक है, जैसे –

- बचत एवं बैंक में खाते खोलने के फायदे.
- बचत कैसे की जाये.
- बैंक कि ऋण योजनाओं व अन्य सुविधाओं की जानकारी.
- बैंको में सुरक्षित लेन देन की जानकारी.
- असली एवं जाली नोटों की पहचान.
- कटे फटे नोटों की जानकारी.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

- विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, जिनका लाभ उन्हें मिल सकता है.उन योजनाओं का लाभ बैंकों की सहायता से किस प्रकार उठाया जा सकता है.

- एटीम,किसान क्रेडिट कार्ड,जनरल क्रेडिट कार्ड आदि क्या है और उनका उपयोग कैसे किया जाना है.

उपरोक्त जानकारी ही वित्तीय शिक्षा या साक्षरता है.

जिन लोगों को वितीय शिक्षा की जरूरत है, वे अधिकत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है. दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है,वितीय शिक्षा कि व्यवस्था करना आसान नही है. जब हम नाबार्ड द्वारा प्रकाशित किये गए आंकड़ों पर नजर डालेंगे, या फिर ग्रामीण बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बैंकों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले कम कीमत के मोबाइल फोन सॉल्यूशंस के आंकड़ों को देखेंगे तो सभी को इस बात का पक्का विश्वास हो जाएगा कि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य अब दूर की कौड़ी नहीं रह गया है.

वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता और उसे प्राप्त करने के तरीकों के विषय में ग्राहक की जागरुकता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है. वित्तीय शिक्षा केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले लोगों के लिए ही नहीं है. अपीतु, यह अपने बजट को संतुलित कर रहे और बच्चों की पढ़ाई व माता-पिता के सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहे औसत परिवार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है. ग्राहकों की विभिन्न अवस्थाओं में वित्तीय शिक्षा की जरुरतों और इन जरूरतों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों की रचना के विषय में बहुत कुछ जानने की जरूरत है.

जो लोग बैंको और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान कि जा रही सेवाओं से वंचित है या जिन लोगो के पास अभी तक बैकं मे किसी भी प्रकार का कोई खाता नही है या जो लोग बैकिंग दायरो से बाहर है, उन लोगो को बैकिंग या वित्तीय सेवाओं तक पहुचाना ही वित्तीय समावेशन है. वित्तीय सेवाओं से दूर रहना या वचिंत रहने के बहुत सारे कारण हो सकते है.जिसमे प्रमुख है ग्रामिण क्षेत्र मे बैंक या बैकिंग संस्थाओं का अभाव या बैंक या बैकिंग योजनाओं के बारे में किसी प्रकार कि जानकारी न होना.जब तक ग्रामिणों को बैकिंग या बैकिंग संस्थाओं की जानकरी नही होगी, वे बैकिंग से कैसे जुडेगे.

बैकिंग या बैकिंग सेवाओं के जानकरी के अभाव मे वित्तीय रूप से वंचित लोग अनौपचारिक स्त्रोतो से उँची व्याज दर पर ऋण प्राप्त करते है.यदी उन्हे वित्तीय शिक्षित किया जाए तो वे बैकिंग या बैकिंग सस्थाओं के धन जमा या ऋण लेने के लिये आगे आ सकते है.
जमा पूजीं का उपयोग एंव बैंक के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय लेने कि दृष्टी से जरुरी है की लोग वित्तीय रूप से शिक्षीत हो. बैकिंग , बचत, एंव ऋण लेने कि समझ विकसीत होने पर ही ग्रामीण लोग, जो कि निम्न आय वर्ग या कमजोर वर्ग से अधिकत्तर संबधीत है,सही मायने में जमा बचत करने, उसका सही उपयोग करने के प्रति आकर्षित हो सकते है.

इस तथ्यो को देखकर यह अनिवार्य है कि ग्रामीणों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने हेतु कारगिर कदम उठाने जाने चाहिये. जब तक ग्रामीण लोग जो कि निम्न आय वर्ग या कमजोर वर्ग से अधिकत्तर संबधीत है, शिक्षित नही होगे वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन कार्य है.

उपर्युक्त से यह पूर्णत: स्पष्ट है कि वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

राजभाषा माह 2022 में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियां

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट-सह्याद्री

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

अखिल भारतीय हिन्दी गीत गायन प्रतियोगिता 2022

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

अन्य आयोजन (सितंबर 2022)

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

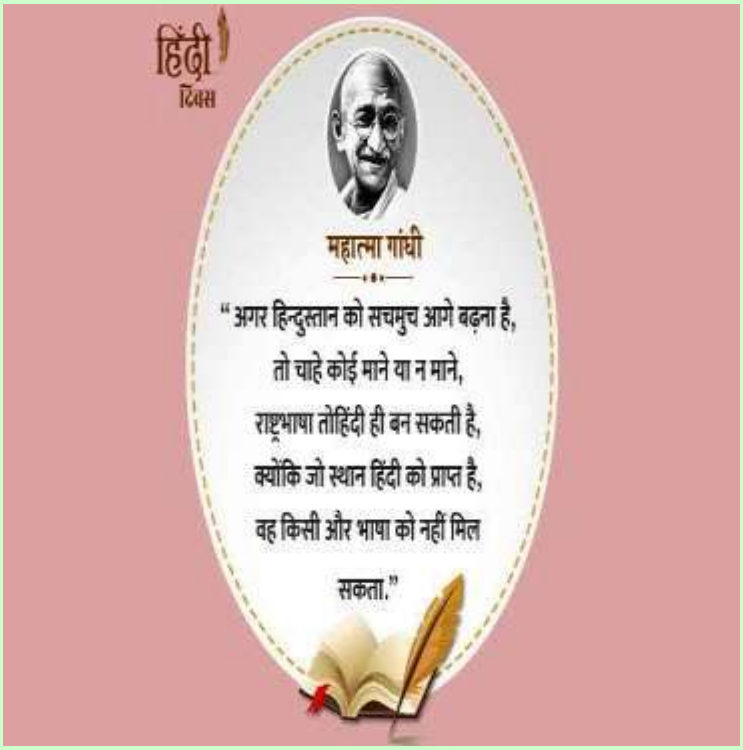

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN